राजस्थान विधान सभा

छठी बैठक, दिनांक–१७ अक्टूबर, १९५२

सदन का कार्य ८ बज कर ३० मिनट पर प्रारंभ हुआ ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

श्रीमन् राजप्रमुख का, उनको दिये गये धन्यवाद पर, सन्देश

श्री अध्यक्षः–मुझे सदन को यह सूचित करना है कि श्रीमन् राजप्रमुख से निम्नलिखित संदेश मुझे प्राप्त हुआ है:–

"दिनांक ६ अक्टूबर, सन् १९५२, को सदन में मेरे द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए सभा के सदस्यों द्वारा की गई धन्यवाद की अभिव्यक्ति को मैंने अत्यन्त संतोष के साथ ग्रहण किया है। "

(करतल ध्वनि)

कृषि आयकर विधेयक, १९५२, पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति की अवधि में वृद्धि

श्री भोलानाथः--Mr. Speaker, Sir, I move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the levy of tax on agricultural income derived from lands situated in Rajasthan State be extended.

श्री अध्यक्षः--प्रश्न यह है कि एग्रिकल्चरल इनकम के ऊपर टेक्स लगाने के लिये व्यवस्था करने वाले विधेयक पर प्रवर समिलित के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए समय और बढ़ा दिया जाए। क्या समय बढ़ाने के लिये सदन की सम्मति है ?

(सदन ने एक मत से इसे स्वीकार किया)

श्री अध्यक्षः–कितने समय तक के लिए ?

श्री भोलानाथः--२८ अक्टूबर सन् १९५२, तक के लिये ।

श्री अध्यक्ष:--२८ अक्टूबर, सन् १९५२, तक के लिए यह अवधि और बढ़ाई जाती है ।

अविश्वास के प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष:--अब जो प्रस्ताव श्री इन्द्रनाथ मोदी ने रखा है उसके विषय में वाद विवाद होगा । हमारे पास कुल मिलाकर ४ घंटे का समय है और उसके लिए समय का विभाजन मैं करना चाहता हूं कि आधा घंटा अनअटेच्ड मेम्बर्स को दिया जाय और डेढ़ डेढ़ घंटा दोनों पार्टीज को यानी डेढ़ घंटा ट्रेजरी बेन्चेज को व डेढ़ घंटा अपोजिशन को । मैंने इस बात की कोशिश की थी कि दोनों ओर के व्हिप्स मुझको एग्रीड लिस्ट देदें कि किस पार्टी से कौन २ बोलना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं हो सका । अब भी अगर वे मुझे कोई लिस्ट देदें तो मैं उसके ऊपर मेम्बर्स को कॉल (call) करने की कोशिश करूंगा, और ऐसा नहीं होने की सूरत में डेढ़ २ घंटे दोनों पार्टीज को और आधे घंटे का समय अनअटेच्ड मेम्बर्स को मैंने देने का निश्चय किया है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे संक्षेप में, जो कुछ भी अपने विचार हों अभिव्यक्त करें । प्रत्येक को साधारणतया १५ मिनट दिये जायेंगे । ५ मिनिट पहले घंटी बज जायगी और ५ मिनिट के बाद में फिर कोई समय नहीं दिया जा सकेगा । इस विषय में मुझे थोड़ी सख्ती से काम लेना पड़ेगा। अतएव मेम्बर लोग स्वयं ही अपने उत्तरदायित्व को समझकर संक्षेप में भाषण देंगे। जो मूवर हैं उनको एक बार पहले समय मिलेगा और फिर उनको उत्तर देने के लिए समय दिया जायगा।

श्री जसवन्तसिंह:--जहां तक संयुक्त दल का सवाल है मैं आशा करता हूं कि इसका पूरा पूरा पालन होगा। प्रजा-पार्टी और संयुक्तदल की तरफ से दो-दो मेम्बर ही बोलेंगे; एक मूवर और एक सेकन्ड करने वाला । श्री इन्द्रनाथजी मोदी मूव करेंगे और मैं उनको सेकन्ड करूंगा।

श्री टीकाराम पालीवाल:--अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि प्रस्ताव पर बहस शुरू हो मैं दो शब्द, स्पष्टीकरण, के लिए कहना चाहता हूं । आपको याद होगा कि पिछली बार जब कि यह मोशन हाउस के सामने आया था और इस हाउस से अनुमति मांगी गई थी, उस समय मैंने निवेदन किया था कि वर्तमान सरकार त्याग-पत्र दे चुकी है और इस प्रकार यह अनप्रिसिडेन्टेड एक्जाम्पल होगी कि जो सरकार इस्तिफा दे चुकी है उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय । मैंने उस समय यही कहा था कि वह इस्तिफा जल्दी ही मन्जूर कर लिया जायगा, ऐसा राजप्रमुख महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है ; किन्तु विरोधी दल की ओर से यह प्रकट किया गया था कि यह कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसी रूप में, व्यक्तियों के रूप में नहीं, चूंकि विशेष पार्टी की सरकार है इसलिए यह मूव किया गया था । यदि सरकार चाहती या सरकारी दल चाहता तो बीच में, ही जैसा कि मैंने निवेदन किया था इस्तिफा मन्जूर हो जाता और यह मोशन अपने आप कानूनी रूप से गिर जाता, लेकिन हमने उस चेलेन्ज को स्वीकार करना उचित समझा । जब कि सरकार ने अपनी पार्टी के आन्तरिक

एडजस्टमेंट के ख्याल से वह इस्तिफा दिया था, जब कि साधारण रूप से आज से कई दिन पहले वह इस्तिफा मन्जूर हो सकता था, नई सरकार बन सकती थी; लेकिन इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया, अनावश्यक रूप से और पार्टी का हवाला देकर यह रखा गया। इसलिए सरकारी दल ने, हम सब ने यह उचित समझा कि इस प्रस्ताव को, इस अविश्वास के प्रस्ताव का सामना करने के बाद में और बातें सोची जायंगी। मुझे यह स्पष्टीकरण करना था क्योंकि मैंने यह इन्डिकेशन दिया था, इस हाउस के सामने, कि इस्तिफा जल्दी ही मन्जूर हो जायगा। लेकिन बाद में हमें यह लगा कि अविश्वास के प्रस्ताव का पहले सामना करना चाहिए और बाद में और बातें सोचनी चाहिए।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं अपनी जानकारी के लिए कि प्रस्ताव के मूवर को भी क्या १५ मिनिट ही दिये जाने का आपने निश्चय किया है ?

श्री अध्यक्ष:–कितना समय चाहते हैं ?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–मेरी समझ में आम पार्लियामेन्ट्री पद्धति के अनुसार मूवर को हमेशा अधिक टाइम दिया जाता है और जहां तक हमारी पार्टी का प्रश्न है हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस पार्टी की ओर से सिवाय दो सदस्यों के और कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए आपने जब हमें डेढ़ घंटा देने का आदेश दे दिया है तो मैं आशा करता हूं कि आप वह समय हम दो सदस्यों को दे देंगे और उसके अलावा हम में से कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष:–Including your reply. (आपके उत्तर सहित) ?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–जी।

श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये मेरा भी यह निवेदन है कि इस दल की ओर से दो व्यक्ति ही बोलेंगे; एक तो मैं और दूसरे मेरे दल के नेता।

श्री अध्यक्ष:–श्री इन्द्रनाथ मोदी अपना भाषण शुरू करें।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–माननीय अध्यक्ष, मैं आज इस सदन के सामने एक अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव उपस्थित करने का साहस कर रहा हूं। मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है:–

"In the opinion of this House the Ministry formed by the Congress party has lost the confidence of the House."

अध्यक्ष महोदय, जब गत १० तारीख को मैंने आपसे और इस सदन से अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा दी जाने की प्रार्थना की थी तब मुझे बड़ा दुख: और आश्चर्य इस बात से हुआ कि मेरे प्रस्ताव के संबन्ध में

कई वैधानिक या अवैधानिक आपत्तियें दूसरी ओर के साथियों की ओर से उठाई गई। उन आपत्तियों में न तो आज जाने की आवश्यकता है और न मैं मानता हूं कि माननीय सदन के नेता को आज, मेरे भाषण के प्रारम्भ में जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसमें, उन आपत्तियों की ओर इशारा करना उचित था या वैधानिक ही था। लेकिन जो कुछ हुआ उन्होंने मुनासिब समझ कर अपना वक्तव्य आपके सामने रखा। मुझे इससे भी अधिक वेदना और शोक इसलिये हुआ कि इस हाउस के माननीय नेता ने हमारे सामने गत १० तारीख को अपने और अपने साथियों का यह निश्चय भी रखा कि वे इस तारीख के बाद और आज तक इस हाउस की कार्यवाही में कोई हिस्सा लेना पसन्द नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता कि उनके इस निश्चय की कौनसी आवश्यकता थी, कौनसी उपयोगिता थी। सब कोई यह समझ सकते हैं और मेरी स्वयं की यह मान्यता है अध्यक्ष महोदय, कि हमारे इस प्रस्ताव के प्रस्तुत होने के बावजूद भी इस हाउस की कार्यवाही को नियमित रूप से चलाना चाहिये थे; लेकिन हम विवश थे और हम इन पिछले ७ दिनों में वगैर किसी जन-उपयोगी काम किये हुए निठल्ले बैठे रहे और हमें बैठे रहना पड़ा। मेरी मान्यता है कि इस निश्चय से इस हाउस का समय व्यर्थ गया और कोई भी हित साधन नहीं हुआ; बल्कि राज्य कोष का दुरूपयोग हो हुआ और इस अर्से में जो कुछ घटनाएं घटीं कुछ ऐसी घटी है; यदि आप उनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की कृपा करेंगे तो आप स्वयं इस नतीजे पर पहुंचेंगे जिस पर मैं पहुंचा हूं। कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जो हमारे लिये शोभा की बात नहीं और जिनके घटने से हमारे सिर (head) एक प्रकार से शर्म के मारे नीचे झुक जाते हैं, लेकिन जो होना था सो हुआ। मेरी यह मान्यता है कि इस निश्चय के पीछे एक भावना थी, एक अनुदारता की भावना थी और इस भावना को लेकर वह निश्चय हमारे सिर पर थोपा गया और उसे हमें मंजूर करना पड़ा। उस अनुदारता की यह प्रतिक्रिया यह अविश्वास का प्रस्ताव है, इस भावना का यह परिणाम है और मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि हमें इस सदन में बैठे हुए कुछ अर्सा हुआ है। पहले एक अधिवेशन समाप्त हुआ और दूसरे अधिवेशन के हम बीच में हैं और इस दर्मियान में हमें यह महसूस हुआ है कि वह अनुदारता की भावना, यह अहम मान्यता की भावना, हमारे दूसरी ओर के साथियों की इस पक्ष में बैठे हुए सदस्यों के प्रति रही है। मैं यह मानता हूं और मुझे यह बातें बाध्य होकर कहनी पड़ती हैं कि यह भावना एक बहुत बड़ा रूप धारण करती हुई दिखाई देती है और दूसरी ओर बैठने वालों की यह भावना स्पष्ट है कि हम केवल विरोध के लिये ही बैठे हुए हैं। हमारे भाषणों में कोई तथ्य नहीं; ऐसा कहा जाता है और यदि कहीं तथ्य होता भी है तो यह कहा जाता है कि तथ्य को तोड़ मरोड़ कर हाउस के सामने रखा गया है, चाहे वह कोई रचनात्मक प्रस्ताव भी हो। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है और हमें तो ऐसा लगता है कि उनका यह विचार है कि इस प्रान्त में अगर देश-सेवा, देश-प्रेम और कल्याण के लिये कार्य करने की ठेकेदारी, माफ करियेगा, अध्यक्ष महोदय, मुझे इन शब्दों के लिये, अगर इस प्रान्त में किन्ही को मिली है तो उन्हीं को और उनके दल को। यह एक ऐसी विचार धारा है जिसको मैं अपमान समझता हूं और हमारे प्रान्त के भविष्य के कल्याण के लिये महाघातक समझता हूं और मेरा माननीय अध्यक्ष, इस साथियों से आपकी मारफत यह

निवेदन है कि जितनी जल्दी से वे इस अहम मान्यता को तिलांजली दें उतना ही हमारे लिये, हमारे प्रान्त के लिये, हमारी गरीबी और हमारे प्रान्त की पिछड़ी हुई हालत को ठीक करने के लिये और जनता की भलाई के लिये उत्तम होगा।

मैं इस हाउस में यह स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रति राजकीय पक्ष की ओर से समय समय पर जो जो आक्षेप किये जाते हैं और बातें कही जाती हैं वह हमारे लिये अन्याय की ही बात नहीं बल्कि अपमान की भी बात है। मैं यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमने इस हाउस में जहां तक हमसे संभव हो सका है राजपक्ष के साथ सहयोग दिया है उनके साथ सहयोग से काम करने की कोशिश की है, हमने उसी भावना को अपने सामने रखा है। लेकिन सहयोग देने के माने यह नहीं होते कि हम उनकी राग में राग अलापें और जो बातें वे कहें उनकी उपयुक्तता के संबन्ध में हमें विश्वास हो या नहीं, हम उनकी हां में हां मिलाया करें। न हमने ऐसा किया और न हम भविष्य में ऐसा करने का इरादा रखते हैं। हम समझते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से यहां पर हैं और उनकी भलाई के लिये यहां आये हैं। इस कर्तव्य के नाते हमारा यह परम महान फर्ज है कि हम अपने सामने जनता की भलाई की भावना को लेकर उन बातों को सामने रखें और राजपक्ष से निवेदन करें कि आपके राज्य में ये ये बातें हो रही हैं जिससे जनता को दुख: है, जनता असंतुष्ट है और आपका तथा हमारा यह कर्तव्य है कि उन बुराइयों को दूर करें, अच्छी बातों का निर्माण करें और राजस्थान व राजस्थान की राजनीति को इस योग्य बनावें कि जिससे हम इस पिछड़े हुए राजस्थान को प्रगति के रास्ते पर, ठोस बुनियाद पर, बढ़ने की कोशिश कर सकें। इस भावना से हमने आपके सामने कई सुझाव रखे। अगर उन सारे सुझावों को मैं इस हाउस के सामने दोहराऊं तो आज की बैठक से शायद काम नहीं चल पायेगा और ऐसी दो तीन बैठकें करनी पड़ेंगी। ऐसा करने के लिए न तो हमारे पास समय ही है और न इसकी मैं आवश्यकता ही समझता हूं। कई उपयोगी सुझाव हमने आपके सामने रखे हैं; अपने मन्तव्यों को आपको समझाने की कोशिश की है; पर हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके, आप समझ नहीं पाये। समझाने की कोशिश की जा सकती है पर समझना न समझना आपके हाथ की बात है। इसलिए मेरी धारणा है कि अगर ठंडे मस्तिष्क से ठंडे दिल से आप उन मंतव्यों पर सोचते तो आपको यह कहने का अवसर नहीं आता कि हमने जो बातें आपके सामने रखी हैं वे तथ्य-हीन हैं—या हमने कोई सुझाव आपके सामने ऐसा नहीं रखा जिससे आप शासन के स्तर को ऊंचा उठा सकते।

सूक्ष्म में मैं थोड़ी सी बातें इस सम्बन्ध में अर्ज करूं जो स्वयं मैंने आपके सामने रखी थीं, जिनसे हमारे प्रान्त के भविष्य की प्रगति और जनता के जीवन का सम्बन्ध है, उनको मैं केवल संकेत के रूप में आपके सामने रखूंगा।

एक बात मैंने गत अधिवेशन में अर्ज की थी कि जो काम हमारे प्रान्त में, इस राजस्थान प्रान्त के बनने के बाद में और इस हाउस के बनने के बाद में

राजस्थान सरकार की ओर से हुए है विशेष कर विभिन्न विभागों में हुए हैं, उनका एक प्रामाणिक विवरण प्रकाशित करायें। यह बात मैंने पहले अधिवेशन में अर्ज की थी; पर ऐसा विवरण हमें आज तक नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो इस हाउस में बहुत से प्रश्न बहुत सी बातें जो पूछी जाती हैं वे संकुचित हो सकती थीं।

मैंने एक और बात निवेदन की थी कि हमारे न्याय विभाग और शासन विभाग का पृथक्करण किया जाय। यह एक महान् काम है, जो हमारे सामने है। मेरी शिकायत थी कि इस लक्ष्य की ओर जब हम राजस्थान प्रान्त के रूप में नहीं मिले थे; काफी आगे बढ़ चुके थे पर राजस्थान प्रान्त बनने के बाद हमें इस प्रगति के पथ में आगे बढ़ना तो दूर रहा, कुछ पीछे हटना पड़ा। इसका असर यह हुआ कि आज की मजिस्ट्रेसी अपने आप को Executive से इतना दबा हुआ मानती है कि वह न्याय नहीं कर सकती। जहां तक न्याय का सवाल है जब तक यह पृथक्करण नहीं हो तब तक इस प्रान्त में न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारे मजिस्ट्रेट इतने उच्छृंखल हो गए हैं, कई District Magistrate ऐसे हैं जिन्होंने अपने मातेहत हुक्कामों को आज्ञा दी है कि चाहे कानून का कुछ भी तकाजा हो फलां फलां मामलों में जमानतें नहीं ली जानी चाहिए। जिस प्रान्त में ऐसी बातें हों उस प्रान्त के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रान्त प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रान्त की प्रगति के लिए जवाई बंध के बारे में मैंने पहिले अर्ज किया था और आज भी अर्ज करना चाहता हूं। सरकारी पक्ष की ओर से इस संबन्ध में जो जवाब मिले हैं वह बिल्कुल संतोष-जनक नहीं हैं और यदि मैं वापिस वही शब्द इस्तेमाल करूं जिनको वे (Treasury Benches) इस्तेमाल करने का शौक रखते हैं तो मैं यही कहूंगा कि उनमें बिल्कुल तथ्य नहीं है।

उस जवाई बंध की स्कीम पर जिस पर कि प्रान्त की प्रगति और जनता का भविष्य निर्भर है, ६-७ साल तो लग चुके हैं और ६-७ साल और लगने की संभावना है। क्या ऐसी छोटी सी स्कीम के लिये इतना समय लगाना उचित है? एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमें कुछ आंकड़े सुधारने पड़ें, उन्हें सही करना पड़ा। पर मैं पूछना चाहता हूं उन आंकड़ों को रिवाइज करने, संशोधन करने में कोई बड़े श्रम या समय की आवश्यकता थी? मैं ऐसा मानने को तैय्यार नहीं। ऐसी स्कीम के बारे में तो जल्द कार्यवाई होनी चाहिए। वहां खेती और सिंचाई के सम्बन्ध में कोई लगान की स्कीम किसी खास निश्चित आधार पर बनाई गई हो वह बात अभी तक नहीं हो पाई है। जहां एक ओर बड़े बड़े मसले हमारे प्रान्त के सामने हैं, हम अगर हमारे प्रान्त में फैली हुई बेकारी और भुखमरी को मिटाना चाहते हैं, किसानों को सहूलियत देना चाहते हैं तो हमें हमारी जमीन के बंटवारे के प्रश्न को ठीक प्रकार से हल करना चाहिए। एक तरफ तो जो खामियें हमारे आर्थिक निर्माण में मौजद हैं-पहले से ही, उनको हल करने का प्रश्न है, जो कठिन है। परन्तु मैं सोचता हूं यह कार्य क्षेत्र एक "Virgin Soil" है। उनमें इतनी असावधानी क्यों बरती जा रही है? हमने इस संबन्ध में जो सुझाव रखे उनके बारे में हमें यह कहा गया कि स्थिति बिल्कुल संतोष-जनक

है। मैं माननीय नेता से अर्ज करूंगा कि आपको हमें भी तो संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम भी आपके संतोष में अपने संतोष को मिला सकें।

हमें बिल्कुल संतोष नहीं है कि हमारे प्रान्त की राज्य सेवाओं का ठीक तौर से एकीकरण हो रहा है। अगर आप अपने कान और आंख खुले रखते हैं तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि स्वयं आपकी राज्य सेवाओं के एकीकरण से कोई संतोष नहीं है। हाल ही में आपने सेक्रेट्रियेट का एकीकरण किया है और हमें मालूम हुआ है कि इस एकीकरण से क्या हाल हुआ है। जो लोग बीसों वर्षों से एक ओहदे पर रहते आए थे उन्हें अपने ओहदे से नीचे एक सीढ़ी नहीं, दो सीढ़ी से नहीं, बल्कि सर्विस के धरातल में बहुत नीचे जाना पड़ रहा है। यह कोई संतोष का कारण नहीं हो सकता। मुझे सूचना मिली है कि एक राज्य कर्मचारी Office Superintendent था; उसे Junior Clerk के ओहदे पर फेंक दिया गया। मुझे दुख: हो रहा है, यह बात आपके सामने लाते हुए कि वह अब इस संसार में नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उसका देहांत इसी कारण से हुआ है पर हो सकता है कि इससे उसको इतना धक्का पहुंचा हो कि वह चल बसा।

यदि आप को मैं यह कहूं कि मैं किसी महकमे का एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी हूं और मेरे मातेहत में काम करने वाला एक ओफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट है और आपका एकीकरण इस प्रकार किया जाता है कि मैं एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी होते हुए भी ओफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिया जाता हूं और मेरे पास काम करने वाला ओफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मेरे ऊपर असिस्टेन्ट सेक्रेटरी बना दिया जाता है तो मैं समझता हूं यह कोई एकीकरण नहीं है। यदि इसी तरह से एकीकरण होना है तो मुझे आप यह निवेदन करने का मौका दीजिये और यह कहने की धृष्टता करने दीजिये कि इस प्रकार का एकीकरण कभी कामयाब होने वाला नहीं है और सर्विसेज कभी सन्तुष्ट होने वाली नहीं हैं।

यह हुई सेक्रेटेरियट के एकीकरण की बात। दूसरी राज्य सेवाओं के बारे में बहुत से आंकड़े और वाकयात आपके सामने रखे जा सकते हैं लेकिन हमारे पास इसके लिये समय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने भी हमें आदेश दिया है कि सूक्ष्मरूप से आपके सामने बातें रखी जावें। यहां जो बातें कहीं गई हैं वे कोई एक विभाग के बारे में नहीं है। अन्य कई विभागों के बारे में भी ये ही बातें पूरी सच्चाई के साथ कही जा सकती है।

दूसरी बात जो सर्विसेज के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आप महरबानी करके सर्विसेज को राजनीति से अलग रखें; इससे ऊपर और दूर रखें। मैंने कई मर्तबा निवेदन किया है और अब भी यही कहता हूं कि जब तक सर्विसेज को राजनीति से दूर नहीं कर पायेंगे तब तक हमारे प्रान्त में कोई न्याय का राज्य व सुशासन नहीं होने पायेगा; ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। इस संबंध में कुछ वाकयात यदि आप जानना पसन्द करेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा जो इन ७ दिनों में गुजरे हैं। इन वाकयात को मैं हाउस के सामने रखूंगा और

Page No.8

आपसे पूछूंगा कि क्या आपके सर्विसेज का स्तर ऊंचा उठ रहा है ? विरोधी-पक्ष के सदस्यों को इन ७ दिनों में कितनी कितनी तकलीफें भुगतनी पड़ी हैं, सर्विसेज और मंत्रियों की कृपा से और उनके आदेश से ये जब आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि हमारे राज्य की क्या दशा हो रही है। मैं समझता हूं इससे अधिक अधोपतन हमारी सर्विसेज का हो ही नहीं सकता।

खर्चे के सम्बन्ध में हमने निवेदन किया था कि ऐसे कई मद हैं जिनमें जो खर्चा हो रहा है वह हमारी गरीब प्रजा के लिये नाकाबिल बर्दाश्त है। यातायात के साधनों का दुरुपयोग हुआ है; पहले भी और अब भी हो रहा है। मैं समझता हूं वह जनता के देखने की चीज है। हमने एक कटौती का प्रस्ताव रखा था मंत्रियों की गाड़ियों के संबंध में कि जो १ लाख ५४ हजार की रकम रखी गई थी उसे घटाकर सिर्फ ५४ हजार कर दी जाय; लेकिन हमें दुखः है कि हमारी वह बात नहीं मानी गई। खैर आपको सत्ता प्राप्त थी, आपके साथ में बहुमत था इसलिये आपने जो कुछ चाहा, किया। लेकिन बजट में प्रोविजन हो जाने के मायने यह नहीं है कि आप अनाप-शनाप खर्च करते रहें। मैं अर्थ मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मद का ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है; वे बहुत किफायत से काम करें। जब खर्च पर पूरा नियंत्रण हो तभी यह हो सकता है। इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

किशनगढ़ में जो उप-चुनाव हुआ था उसके संबंध में मैंने निवेदन किया था कि जनता में इस बात का असन्तोष है और क्षोभ है कि सरकारी साधनों का निर्दयता से दुरुपयोग किया गया था। मैंने यह बात व्यक्तिगत तौर पर नहीं कही है। लेकिन बात यह है कि जहां हम प्रजा का राज्य कायम करना चाहते हैं वहां हमें यह सोचना चाहिये कि प्रजा राज्य का ठोस आधार कैसे रखा जा सकता है। वह आधारशिला हमारे चुनाव हैं। हमारे चुनाव निष्पक्ष हों; यह सबसे अधिक जरूरी है। एक तरफ यह कहा जाता है कि हमारा बजट इतना संकुचित है कि उसमें जनहित का काम करने को अधिक गुंजायश नहीं है और दूसरी और हजारों रुपये पेट्रोल में और भत्ते में खर्च किये जाते हैं और इसके अतिरिक्त राजकर्मचारियों और मंत्रियों का समय इन बातों में कितना व्यर्थ खर्च किया जाता है सोचने की बात है। केवल मेरे "हां" कहने से व आपके "ना" कहने से काम नहीं चलेगा। सारी जनता आपको और आपके कार्यों के ऊपर दृष्टि लगाये हुए है। हम और आप जनता को लंबे समय तक धोखा दे सकें; यह नामुमकिन है। हम यह जानते हैं कि शासन के कामों का प्रत्यक्ष प्रमाण देना मुश्किल है। मैं आपके इस हाउस की समता अदालत से नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हजारों लोगों ने देखा है। इसलिये मैंने हाउस में प्रश्नों के जरिये यह जानना चाहा था कि चुनाव के संबंध में मंत्रियों के जो दौरे हुए थे उनमें इनकी मोटरों और भत्तों पर कितना खर्च हुआ है; उसके आंकड़े पेश किये जावें। राज्य-पक्ष के कई लोगों ने कहा कि विरोधी-पक्ष की ओर "वेग और वाइल्ड" एलीगेशन रखे गये थे; यदि आप सच्चे हैं तो इलेक्शन पिटिशन लेकर इलेक्शन ट्रिब्युनल के सामने क्यों नहीं जाते ? मैं भी इलेक्शन ट्रिब्युनल को समझता हूं। इसे नहीं समझता होऊं ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जो बात इस सदन के सामने रखना चाहता हूं वह

जुडिशियल प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न राजनीतिक है, प्रजातंत्र की आवश्यकताओं, परम्पराओं का प्रश्न है जो इस हाउस के विचार के लिये आवश्यक है; यह पार्लियामेन्ट के विचार के लिये आवश्यक है। यदि इस तरह से चुनाव हुए तो मैं आपसे निवेदन करने का साहस करूंगा कि यह हमारे शिशु–राज्य के प्रजातंत्र के लिये घातक होगा। चुनाव में कितनी ही छोटी–मोटी बातें हुई हैं; पर उन्हें कहने का मौका अभी यहां नहीं है। मैंने एक मोटी बात आपके सामने रखी है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मैंने इस हाउस के सामने यह प्रश्न भी रखा था कि हमारी पुरानी राजधानियों में जो दौलत है; वह इन्सान और मेटिरियल में है: उसे हम बरबाद नहीं कर सकते व उन्हें बरबाद नहीं करना चाहिये; पर वह दौलत बरबाद हो रही है। आपको मालूम होगा कि वहां क्या हो रहा है। जो महकमे वहां पर अच्छी तरह से जमे हुए थे उन्हें आप खींचकर जयपुर लाने की फिकर में हैं। ये बातें हमारी आंखों से ओझल नहीं हुई हैं। इस बात को लेकर मैंने जोधपुर के गवर्नमेन्ट प्रेस की बात कही थी; पर मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मुझे यह बतलाया गया कि "एडमिनिस्ट्रेटिव कनविनियेन्स" के कारण उसे वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार देने वाला वह महकमा वहां अच्छी तरह से चल रहा है और एक पुरानी राजधानी में कायम है और उसका कार्य दूसरी जगह के इसी तरह के महकमों से किसी भी हालत में कम अच्छा नहीं है; फिर भी क्या कारण है कि उसे वहां से हटाया जा रहा है; विशेष कर जब कि उसके लिए वहां पर्याप्त काम है। लेकिन भगवान जाने उसके वहां से हटाने से किसके हित के साधन होंगे ? हम तो ऐसा कोई हित देख नहीं पाते और इस तरह दूसरी दूसरी राजधानियों के सम्बन्ध में भी निवेदन किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जनता को भी सन्तुष्ट रखने की आवश्यकता है। उन स्थानों से राजधानियों के हट जाने के बाद वहां निराशा का वातावरण छा गया है। उसे दूर करना है और जब तक इस इन्सानी दौलत का फायदा नहीं उठाया जायगा, जब तक जो बेशुमार दौलत वहां पड़ी हुई है उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा और उसका प्रयोग, उसका विकास सही मायने में नहीं किया जायगा मैं निःसंदेह कहने की धृष्टता करूंगा कि राजस्थान में सुख और चैन की वृद्धि नहीं हो सकेगी और कोई नहीं कह सकता है कि इस स्थिति का कितना भयावह परिणाम होगा। यह एक दृष्टिकोण है जो मैंने आपके सामने रखा है।

इस तरह जनता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, शिक्षा के सम्बन्ध में, व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में, खनिज दौलत तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनसे यह सोचने का हमें मौका मिला हो कि पिछले इन छः महीनों में जनता के हित को आगे बढ़ाने के काम हुए हों ऐसा विश्वास नहीं होता।

शिक्षा की बात ही लीजिए। अभी थोड़े दिनों पहले इसी हाउस में शिक्षा मंत्रीजी से, जो अर्थ-मंत्री भी हैं, कुछ प्रश्न पूछे गये थे; पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में। अध्यक्ष

महोदय, मैंने देखा कि जो सूचनाएं दी गई थीं, वे सही और किसी सत्य पर आधारित हो; ऐसा कोई नहीं कह सकता। हमें यह कहा गया कि अब तक पाठ्यक्रम वे ही चल रहे हैं जो पुराने राज्यों के थे और अब प्रयास किया जा रहा है कि उनमें प्रारम्भ से अन्त तक तब्दीली की जाय। हमें इतना अवकाश नहीं था कि इस सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी कर सही और पूरे तथ्य में आपके सामने रखूं किन्तु फिर भी जो तथ्य मैंने अपनी निजी जानकारी से, अपनी समझ से एकत्रित किए हैं उनके आधार पर में कहने को तैयार हूं कि जो सूचनाएं हमें दी गई हैं वे संदेह-जनक हैं; ठीक नहीं हैं। जहां तक मुझे मालूम है सन् ५० में नया पाठ्यक्रम बनाया गया, ५१ में बनाया गया और सन् ५२ में कुछ अंशों में बनाया गया। उन उन सालों में कई कई किताबें बदली गईं और सन् ५२ में जो योजनाएं बनी हैं, और जैसी की सूचना शिक्षा मंत्रीजी ने दी है, उससे यह स्पष्ट है कि सन् ५३ में सारी किताबें तब्दील होने वाली हैं, सारा पाठ्यक्रम नया बनने वाला है। यदि माननीय शिक्षा मंत्रीजी उन पाठ्यक्रमों को जो पिछले वर्षों में बनाये गये थे, देखना चाहते हैं तो वे मेरे पास हैं। वे चाहें तो उनको देखकर अपनी स्मृति को ताजा कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के शिक्षा-विभाग, शिक्षा-मंत्रालय द्वारा किताबें छापी गई हैं, उनमें हजारों रुपया खर्च किया गया है और उन पाठ्यक्रमों को बनाने के लिए कितनी ही कमीटियां बनी हैं और उनकी बैठकें बुलाई गई हैं। अधिकृत हल्के जो जानकारी रखते हैं वे कह सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम हर साल बदले जा रहे हैं। भगवान जाने कि राजस्थान की जनता की इसमें क्या भलाई हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता में यह भावना उग्ररूप से घर करती जा रही है कि शिक्षा-विभाग में बड़ा भारी काला बाजार हो रहा है और पुस्तकों और किताबों को छपवाने में सौदे बाजी हो रही है। मैं नहीं जानता की ये बातें कितनी सच्ची हैं और कितनी झूठी। किन्तु इनको मानने के पर्याप्त कारण हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में इस हाउस की एक जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए जो इन सारे हालातों पर गौर करे और इस हाउस के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे। कई पाठ्यक्रम बनाये गये लेकिन कुछ को लागू नहीं करना उचित समझा गया और आज फिर पुराने पाठ्यक्रमों पर पहुंच गये। एक बात यह कही गई है कि किताबों की संख्या घटा दी गई है। जो मैंने जानकारी की है उसके अनुसार कहा जा सकता है कि यह सूचना एक प्रकार से तो ठीक है किन्तु दूसरी प्रकार से ठीक नहीं है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि कई विषयों की एक ही किताब रख दी गई हो। मुझे एक बात, अध्यक्ष महोदय, इस पाठ्यक्रम के विषय में और कहनी है जिसके न होने से शिक्षा-विभाग में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। वह बात यह कि अब तक, जैसा कि मालूम हुआ है, एक विषय की एक ही पुस्तक प्रेस्काइब की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। कि वे इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सतर्कता रखें। एक ही विषय की दो तीन किताबें, पुस्तकें, प्रेस्काइब की जानी चाहिए, जिससे चोर बाजारी का सिलसिला बहुत हद तक हल हो सकता है। यह है शिक्षा-विभाग में जो पाठ्यक्रम जारी हो रहा है उसके सम्बन्ध में। यह है शिक्षा-विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। जो जनमत को ऊंचा उठाने का विभाग है और जो प्रजातन्त्र के विकास से सम्बन्ध रखता है। इसका आर्थिक सम्बन्ध भी

देखिये। यह भी अर्थ मंत्रीजी से सम्बन्ध रखता है। इतनी इतनी जल्दी पाठ्य पुस्तकों के बदलने से जनता पर कितना प्रहार होता है, यह सोचना चाहिए। ३॥ लाख विद्यार्थी इस राजस्थान प्रान्त में हैं। अगर इन विद्यार्थियों को नई पुस्तकें खरीदना पड़ेगा, जो नये पाठ्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित की जा रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रान्त की बेकार और गरीब जनता पर कितना अधिक प्रहार होने वाला है। यह प्रहार केवल जनता पर ही होने वाला है, मैं यह भी नहीं मानता। अगर आप जल्दी जल्दी नई पुस्तकें प्रेस्क्राइब करते हैं, जितनी स्कूलें हैं उन सब को उन्हें फिर से खरीदना पड़ेगा। सरकारी पुस्तकालयों में भी उन्हें रखना पड़ेगा। इसका नतीजा क्या होगा? लाखों रूपया बेकार खर्च होगा इस पाठ्यक्रम को लेकर राज्य शासन का। आप हमसे सुझाव चाहते हैं, हमने सुझाव दिये हैं और दे भी सकते हैं, किन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि आपको सोचने की फुरसत नहीं।

राजस्थान के मंत्री परिषद में शक्ति की राजनीति से काम हो रहा है। वहां जनता के हित के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। यह कहा जाता है कि राज्य का सारा काम करके वे लोग फिर पार्टी का काम करते हैं। हम भी जान सकते हैं कि राज्य का सारा काम करने के पश्चात पार्टी का काम कितना किया जा सकता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि राज्य का काम किया ही नहीं जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजस्थान की जनता गिद्ध-दृष्टि से आपको और हमको देख रही है। कई साथियों ने मुझसे कहा कि आजकल राज्य का काम बन्द पड़ा है और अब काम पार्टी बाजी का हो रहा है। समय कम है और कहने के लिये बहुत बातें हैं मुझे विवश होकर अपने भाषण को संकुचित करना पड़ेगा और जितनी बातें मैं निश्चित समय में निवेदन कर सकता हूं निवेदन करके अपना आसन ग्रहण करूंगा।

इस सम्बन्ध में हाल ही में जो घटना घटी हैं और जिनके साथ में घटी हैं उनका नाम है श्री विजयसिंह, जो रूपनगर के ठाकुर हैं। उनके साथ जो हकीकत गुजरी, उसका हाल मैं, इस हाउस में अपने शब्दों में नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि आपको शंका हो सकती है। किन्तु यह हाल मैं उन्हीं के शब्दों में इस हाउस में रखना चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि आप सोचिये कि आप किस ओर जा रहे हैं। क्या प्रजातन्त्र का हित होने वाला है इन बातों से और पार्टी का भी क्या हित होने वाला है इन बातों से? कोई सच्चा हित होता हो, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। यदि आप पार्टी के दल दल से कुछ ऊपर उठेंगे तो स्वयं सोचेंगे कि यह बात कहां तक शोभनीय है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो वक्तव्य मैं पढ़ने वाला हूं उसकी एक प्रतिलिपि आपके पास भी प्रेषित की जा चुकी है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:—On a point of order, Sir. Is it permissible for any member to raise any point with reference to what a member might have said during the course of the last debate?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I do not see, Sir, if there is any point of order which has been raised by the Hon'ble Member. On the other hand I see there is considerable interruption. I think when I am speaking the Hon'ble Member will have the courtesy to take his seat.

एक सदस्य:–On a point of order, Sir. Can a point of order be raised any time? I desire a ruling of the Chair.

श्री अध्यक्ष:–The Hon'ble Member is delivering a speech and I do not think there is any objection to it.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह प्रयास था कि वे मेरी बात को तोड़े–मरोड़ें और मेरे समय में से कुछ हिस्सा ले लें। यदि उनकी यह सद्भावना है तो मुझे कोई बुराई नहीं मालूम होती।

अध्यक्ष महोदय:–You don't waste your time in these things.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–मैं एक ही वाक्य में मेरे माननीय मित्र की आपत्ति का उत्तर देना चाहता हूं कि उन्होंने जो "नरवसनेस" (बौखलाहट) इस मामले के बयान के पढ़े जाने के संबन्ध में हाउस के सामने दिखाई है उससे पता लगेगा कि जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसका क्या स्वरूप है उसका क्या भयंकर परिणाम हमारे प्रान्त में होने वाला है:–
यह है मेरे मित्र श्री विजयसिंह का बयान:–

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री विश्वंभरनाथ जोशी:—On a point of order, Sir. He is infringing the Rules of the House by bringing in names. Referring to names.................

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-I pray, Mr. Speaker, Sir, to ask the Hon'ble Member to keep order in the House.

श्री अध्यक्ष:–You will also keep some patience.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–I have been keeping utmost patience.

श्री अध्यक्ष:–He is reading a statement which will be placed on the table of the House and there can be no objection to that.

(विराम)

Is it necessary to read the whole of it?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–I think it is.

श्री अध्यक्ष:–You may narrate substantial points without reading it.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–I do not want to take the responsibility of the Hon'ble Member asking anything with regard to this.

श्री अध्यक्ष:–You may place it on the Table of the House.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--Yes, it will be placed on the Table of the House; but the Hon'ble Members will not know at the moment what it contains.

श्री अध्यक्ष:-Whether the Members will know it or not at the moment is not the question. But if you insist on it you can read.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-Thank you very much.

(विराम)

श्री अध्यक्ष:–Still I say if you do not read it but place it on the Table of the House it will save your time. You should know you have taken about an hour.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–I do not think so, Sir.

श्री अध्यक्ष:- Only ten minutes less.

श्री ब'. एन. जोशी:–On a point of order, Sir, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं. . . .

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–क्षमा कीजियेगा अध्यक्षजी but I think you will also take objection to the countless points of order that are being raised by the Hon'ble Member.

श्र अध्यक्ष:–He has a right to do so.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–Which are without any substance, Sir?

श्री अध्यक्ष:–May be.

श्री बी. एन. जोशी:–Mr. Speaker, Sir, I want to bring to your notice that the action of the Hon'ble Member is in violation of Rule 188 (1), which reads:-

"Whilst the House is sitting a member shall not read any book, news paper or letter except in connection with the business of the House." Now I submit that the incident......

श्री अध्यक्ष:–Order, Order. It does not arise.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–तो मैं आपके आदेश को मानता हुआ इस बयान को हाउस की मेज पर रख रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि महरबानी करके यदि वे उसे पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें। इस बयान से मालूम होगा कि इन सात दिनों में हमारा राजनैतिक और नैतिक स्तर कितना ऊंचा उठा है। जो शिकायत मैंने हाउस के सामने पेश की है कि राज्य सेवाओं में काम करने वाले अधिकारियों को, मुलाजिमों को, राजनीति से दूर रखना चाहिये यह मेरी मांग कितनी उचित है? इस एक ही मामले से आपको पता लग सकता है कि स्थिति क्या है? ऐसे मामले पकड़ना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, खासकर जब कि हमारे राजपक्ष की सत्ता स्वयं ऐसी बातों के साथ में है। जनता के भलाई के दृष्टिकोण से हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि हम सही तथ्यों को जनता के सामने रखें और बतावें कि हमारे राज्य–शासन का स्तर किस ओर जा रहा है; रसातल की ओर जा रहा है या प्रगति की ओर। मैं जानता हूं और हमें कई बार यह सुनने को मिलता है कि हम प्रतिक्रियावादी हैं, हम राजस्थान प्रांत को प्रगति के रास्ते से दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं; लेकिन मैं उन महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वे महरबानी करके सोचें कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह प्रगतिवाद है या और कुछ? इसका फैसला जनता को करना होगा, इस हाउस के सदस्यों को करना है। मेरा निवेदन है कि हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस पार्टीबाजी के दलदल से ऊपर रहें। इस रस्सा–कस्सी से दूर रह कर हमें जो काम करने का मौका इस प्रान्त में मिला है उसके योग्य अपने आपको हम साबित करें।

श्री अध्यक्ष:–Only ten minutes.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—समय का बड़ा संकोच है, मुझे अध्यक्ष महोदय से फिर आदेश मिला है कि मैं अपने भाषण को सीमित करूं। बातें बहुत रखनी हैं लेकिन मैं विवश हूं। कुछ खास बातें हैं वे मैं आपके सामने इस थोड़े से समय में रखूंगा।

प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के बारे में मैंने पहले भी इस सदन में निवेदन किया था लेकिन इस समय मैं केवल सांकेतिक रूप से यह निवेदन करूंगा कि इस एक्ट के मातहत इस पक्ष के दो सदस्यों को नाहक जेलखाने में भेजा गया और उनको, बाद में, सरकार को मुक्त करना पड़ा। इस सरकार के इस रवैये को कोई सन्तोषजनक नहीं समझेगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न ऐसा था जिस पर सरकार को बहुत सावधानी से विचार करना चाहिये। इन सदस्यों को जेल में रखने के पश्चात् इस एक्ट के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही गई। यह कहा गया कि हमने प्रिवेन्टिव डिटेन्शन का उपयोग बहुत सही ढंग से किया है; लेकिन जो आंकड़े इस हाउस के नेता ने सदन में रखे हैं उन बातों में कितना तथ्य है उनसे आपको स्वयं पता लग जायगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के

मातहत जितने भी केस उठाये गये उनमें से ४५ प्रतिशत गलत थे; यह कोई शोभा की बात नहीं, किसी भी सरकार के लिए कि ६३ केस दर्ज किये गये उनमें से २७ मामलों में, स्वयं हाउस के नेता ने माना है, नजरबन्दों को छोड़ना पड़ा। प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के आम दुरुपयोग के प्रश्न को छोड़कर हाउस के सामने मुझे जो विशेष बातें रखनी हैं वे यह हैं कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट का भारी दुरुपयोग विरोधी पक्ष के बरखिलाफ किया गया, राजनैतिक विरोध के कारण। इस सम्बन्ध में कई बातें हुई; जिनका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं। यहां तक बात हुई कि हम में से एक सदस्य को जेल के एक ऐसे भाग में रखा गया जहां थोड़े ही घन्टों पहले उसी कालकोठरी में टी० बी० का मरीज रह चुका था। हो सकता है हमारे सदस्य को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ हो। माननीय मुख्य मंत्री ने उनके लिए यह कहा कि उनकी सहत दुरूस्त हो गई। लेकिन मैं समझता हूं कि यह दलील कहां तक तथ्य रखती है? अगर कोई ऐसी बात हुई होती, जो बहुत बुरी होती तो उसकी जवाबदारी सरकार के हित में किस प्रकार होती?

श्री अध्यक्ष:–One minute more.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:––मुझे अन्त में यह निवेदन करना है कि यह जो कुछ तथ्य हैं जो मैंने आपके सामने रखे इन सब बातों को लेकर सरकार के प्रति पूर्ण सहयोग और सहकारिता की भावना रखते हुए उन बातों को हाउस के सामने रखने का हमने समय समय पर प्रयास किया है लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? यह जब हम सोचते हैं तो हमें निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता।

अब मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि आप इस प्रान्त को एक प्रगतिशील प्रान्त बनाना चाहते हैं, यदि आप इस प्रान्त में यह उचित समझते हैं कि दलबन्दी के ऊपर उठकर जनता के सुशासन की बात सोची जाय, यदि प्रान्तीय राज्य को एक सच्ची और ठोस प्रजातन्त्रीय बुनियाद पर आधारित किया जाय, यदि आप यह आवश्यक समझते हैं कि जनता का जीवन स्तर सही मायने में ऊपर उठाया जाय, यदि जनता के हित की बातों में राज्य के मंत्रियों का समय व्यतीत हो, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह समय है कि आप अपनी अन्तरात्मा का निरीक्षण करें और जनता के हित–कल्याण की भावनाओं में अपना समय लगायें और दलबन्दी के छोटे छोटे दायरों को छोड़कर काम करें। अन्त में इस हाउस में मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि हम वर्तमान प्रस्ताव पर ऐसा फैसला लें जिससे कि हम अपने राज्य और अपने राज्य की जनता के सामने दावा कर सकें कि हम सच्चे मायनों में जन-सेवक हैं, दल-सेवक नहीं।

श्री अध्यक्ष:–Motion moved. The motion is, "In the opinion of the House the Ministry formed by the Congress party has lost the confidence of the House."

श्री जसवन्तसिंह:—श्रीमान अध्यक्षजी . . .

श्री अध्यक्ष:-you will take only 15 minutes and leave 15 minutes for the reply.

श्री जसवन्तसिंह:—जी हां। श्रीमान अध्यक्षजी, मेरे पास समय का भारी अभाव है और कहने को मेरे पास भी इतना ज्यादा मसाला है कि कम से कम अगर २ घन्टे तक मैं बोलूं तो भी वह खतम नहीं होगा। फिर भी मुझे आपका आदेश मानना पड़ेगा और मेरा यह अप्रिय कर्तव्य इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने का हो जाता है। मेरे लिये दुख: की यह बात हो जाती है कि उस मिनिस्टरी के बारे में यह अविश्वास का प्रस्ताव है जिनके साथ में काम कर चुका हूं। उनमें मेरे मित्र हैं और मेरे साथी हैं। लेकिन जब कर्तव्य का काम आ जाता है तो अप्रिय कदम भी उठाना ही पड़ता है।

इस राज्य प्रणाली में जो मिनिस्ट्रियां कांग्रेस की इन ४ सालों में हुई उनके द्वारा जो जो कार्य किये गये हैं, उनका वर्णन मेरे मित्र श्री इन्द्रनाथ मोदी कर चुके हैं और उन्हें दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके अलावा भी कई ऐसी विशेष बातें हैं जो मुझे कहनी हैं, लेकिन समयाभाव के कारण मैं सिर्फ दो बातों पर ही कुछ कहकर इस सदन के सामने इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं।

एक तो लोकल बोडीज़ है जिसके मुतल्लिक दो—चार शब्द कहना चाहता हूं। जहां जहां म्युनिसिपेलिटियां, पंचायतें या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं वहां २ जिस प्रकार से सिर्फ कांग्रेस के सदस्यों को ही गैर या वाजिब तरीके से लिया जाता है, उस पर मैं प्रकाश डालता हूं।

सन् १९५१ की बात है कि जोधपुर में म्युनिसिपैलिटी का एक चुनाव हुआ। उस चुनाव में कांग्रेस के एक केंडीडेट श्री हकीकतुल्ला थे और दूसरे श्री निसार अहमद एक इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट थे। रिटर्निंग आफिसर ने श्री निसार अहमद के नामीनेशन पेपर को सही माना तो कांग्रेस के केन्डिडेट ने उसके वरखिलाफ अपील की कि यह नामीनेशन रिजेक्ट होना चाहिए। इसकी अपील हमारे एडिशनल कमिश्नर जोधपुर के सामने की गई। वह कमिश्नर एक नामी कानूनदां भी थे और जानते थे कि यह प्रस्ताव गलत था, मगर उन्होंने अपनी गवर्नमेन्ट को खुश करना ही ठीक समझा और उस नामीनेशन को, जो कि रिटर्निंग आफिसर ने सही माना था, रिजेक्ट कर दिया। उसका रिव्यु मिनिस्टर साहब के पास किया गया। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस वक्त कांग्रेस मिनिस्टरी नहीं थी तो उसको गलत साबित करके उसकी अपील को एक्सेप्ट किया। इसके बाद सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आई, और फिर कांग्रेस मिनिस्टर के सामने वह मामला रिव्यु किया गया। उन्होंने

नॉन-कांग्रेसी केन्डीडेट के पक्ष के फैसले को रद्द करके नॉमीनेशन रद्द कर दिया। इस पर कॉन्स्टीटयूशन के अनुसार श्री निसार अहमद इस फैसले को हाईकोर्ट में लेगये। उस हाईकोर्ट के फैसले को इस सदन के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिससे यह विदित हो जायगा कि हमारे यह मिनिस्टर किस हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार हैं।......

श्री अध्यक्ष:-This judgment has been published in papers. It is not necessary to read it out in the House.

श्री टीकाराम पालीवाल:--अध्यक्ष महोदय, यह भी जानना जरूरी होगा कि यह चीज कब की है? एक दो साल पहले हुई या ६ महीने पहले हुई।

श्री जसवन्तसिंह:--यह बात कांग्रेस की सरकार के जमाने में हुई। अगर पढ़ने की इजाजत नहीं है तो मैं संक्षेप में कह देना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने......

श्री टीकाराम पालीवाल:-It is not relevant to the point.

श्री अध्यक्ष:-The point is that the no-confidence motion has been tabled against a Government which has been functioning within the last six months. If you can attribute any action of the Governments which has been done within these months, you can very gladly come and lay your charges on the Government. But any action which has been done at some other time before this Government came into office, it is not the responsibility of this Government.

श्री जसवन्तसिंह:--अगर अध्यक्षजी का यही निर्णय है तो मुझे शिरोधार्य है। मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि लोकल बोडीज के मामलों में हमारी सरकार कहां तक नीचे गिरने के लिए तैयार है, कहां तक इन्टरफियर करने के लिए तैयार है। इससे यह साफ जाहिर हो सकता है कि अगर यह ताकत हमारी सरकार के पास आज भी मौजूद होती तो जितने भी हम विपक्ष में बैठे हैं आम चुनावों में हम सबके नॉमीनेशन पेपर इस तरह से खारिज करके सिवाय एक पार्टी के दूसरों को नहीं चुनने देते। लेकिन मुझे खुशी है कि आज हमारे कॉन्स्टीट्यूशन ने हमें इस बात से सुरक्षित रखा है।

इसके अलावा मैं एक दूसरा उदाहरण जो कि इसी मिनिस्ट्री का है, जिसका संबंध मेरे मित्र माननीय राजस्व मंत्री जी से है, पेश करता हूं। इस मौजूदा सरकार के मुताल्लिक डॉक्यूमेन्ट्री प्रूफ का मसाला मेरे पास मौजूद है। मैं यह बताना चाहता हूं, कि मौजूदा सरकार की पोलीसी एक जाति विशेष के प्रति कितने हद तक नीचे पहुंच गई है। वे समझते हैं कि

उसको येन-केन-प्रकारेण काबू में लाना जरूरी होगया है। यहां जयपुर में ही करीब १५ या २० मील की दूरी पर एक जगह है। वहां पर एक जागीरदार ने अधिक अन्न उत्पन्न करने के लिए ट्रेक्टर्स खरीदे और ट्रेक्टर्स खरीदने के बाद में उन्होनें एक फार्म बनाया। दुर्भाग्य से यह जागीरदार हमारे यहां के एक सदस्य, आम चुनावों में एक प्रमुख कार्यकर्ता थे और जिनके मुकाबले में हमारे कांग्रेस के एक बड़े नेता को हार खानी पड़ी। तो उन्होंने उसका बदला निकालने के लिए जो कार्यवाही इस जागीरदार के साथ की उसको सदन के सामने में पेश करना चाहता हूं। कांग्रेसियों ने यह विचारा कि इन्हें किसी तरह से तंग करना चाहिये और बदला लेना चाहिए। उन्होंने चुनाव में कांग्रेस के साथी को हराया था और उसका बदला कांग्रेस जन लेना चाहते थे। रातो-रात कुछ नेताओं की सलाह से ४०, ५०,६० किसानों ने जबरदस्ती उनके बोये हुए खेत पर हमला किया और कब्जा किया।

मैं इस हाउस के सामने यह पेश करना चाहता हूं कि अगर उनको ऐसा करना ही था तो क्या यह सही बात है। मगर वे इस हद तक पहुंचे कि जहां जहां खेत पर कब्जा करते रहे वहां वहां नेशनल फ्लेग लगाते रहे। इसका मतलब यह था कि अगर यह जागीरदार या उसके आदमी इस खेत में से नेशनल फ्लेग को हटावें तो उन पर नेशनल फ्लेग की बेइज्जती करने के जुर्म में पकड़ लिया जावे। अगर ऐसी राजनीति के स्तर पर कांग्रेस सरकार अपना राज्य कायम करना चाहती है तो मैं यह कहूंगा कि कहां तक हमारा इस में विश्वास हो सकता है! अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने हाउस में एक फोटो पेश करूंगा जिसमें कुछ किसान नेशनल फ्लेग को जमीन में गाड़े खड़े हैं और यह निवेदन करूंगा कि यह फोटो भी अपनी प्रोसीडिंग का भाग बने। मेरे पास दूसरे फोटो भी हैं जो इस बात को बताता है कि ४०-५० किसान एक बोये हुए फार्म पर हल चला रहे हैं। इसमें भी कई लोग नेशनल फ्लेग लिये हुए खड़े हैं। और भी फोटो मेरे पास मौजूदा हैं, जिसमें हमारे कुछ नेता भी भाग लेते हुए मालूम होते हैं।

जब इस प्रकार की घटना हुई तो जागीरदारों के पास कोई चारा नहीं रहा। अत: वे डेप्युटेशन लेकर मुख्य मंत्रीजी के पास गये कि हमारे चीफ मिनिस्टर कुछ विचार कर सकें। उसके बाद रेवेन्यु मिनिस्टर साहब के पास भी गये और खास तौर से दुःख की बात यह है कि, अभी रेवेन्यु मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद नहीं हैं; उन्होंने कहा कि जागीरदार को क्या हक था कि इतने बड़े फार्म को बोता? इतना ही नहीं मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जो किसान उस फार्म पर कब्जा करने के लिये लाये गये थे वे उस जगह के नहीं थे; वे वहां के नहीं थे, वे कहीं बाहर से बुलाये गये थे और उनसे वहां

पर जबरन हल चलवाये गये। इसके बाद जब बेचारा जागीरदार दूसरे सरकारी अधिकारियों के पास भटकता २ पहुंचा तो उसको यह कहा गया कि यहां पर क्या राजपूती दिखाने के लिये आये हो! अभी उन्हीं ४०-५० किसानों ने, जो ट्रेस्पासर थे लिखित रूप में माफी मांगी है कि उन्होंने बहकावे में आ कर ऐसा कार्य किया।

इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की यही राजनीति है कि जो कोई कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा हो उसको बदला लेने की भावना से तंग किया जाए, तो हमें क्यों नहीं कह दिया जावे कि तुम खड़े ही मत हो। मैं आशा करता हूं कि जो फोटो मैं आपके सामने पेश करूंगा उनके ब्लोक बनवा कर, वे हमारे यहां की प्रोसीडिंग्ज में रखे जावें।

श्री अध्यक्ष:-वैसे तो माननीय सदस्य को हर विषय पर बोलने का अधिकार है और वह गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव पर अच्छा हो कि सदस्य सरकार की जनरल पोलीसी पर ही अटेक करें तो अच्छा होगा जो पिछले ६ महिनों में रही हो बजाय इन्डिविज्युअल केस पर अटेक करने के। अगर आप इसे सदन की मेज पर रखना चाहें तो ठीक है।

श्री जसवन्तसिंह:-अब मैं प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के संबन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र श्री मोदीजी ने इस संबन्ध में बहुत कुछ कहा और यों तो मैं भी राजप्रमुख के अभिभाषण पर बहुत कुछ कह चुका हूं। इस सिलेसिले में मैं केवल श्री विजयसिंहजी, रूपनगर, के बारे में एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन पर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के नीचे नहीं, बल्कि उनको दूसरे क्रिमिनल केस का शिकार बनाया गया क्योंकि उनका भी दुर्भाग्य था कि उन्होंने भी एक कांग्रेसी उम्मेदवार को हराया था। उनको पकड़ने के बाद में उनको "ए" क्लास कैदी की तरह ट्रीट करने का हुक्म हो चुका था, फिर भी हमारे एस० पी०, जो उदयपुर में थे जब उनको जेल से अदालत में लाये तो वे हेन्डकफ करके ले जाये गए। इसका ऐतराज मजिस्ट्रेट के सामने उठाया गया। मगर चूंकि एस० पी० को इस प्रकार के इन्सट्रक्शन्स थे कि किसी तरह से इनको जलील किया जाय उन्होंने कुछ नहीं सुना। यहां तक कि उनको दो मील तक पैदल ले जाया गया। मैं यह चाहता हूं कि मेरे साथी जिनके साथ यह दुर्व्यवहार किया गया वे आज भी हाउस के सामने मौजूद हैं और इसी कारण ६ तारीख को मीटिंग में नहीं आ सके। उन पर इस बात का जोर दिया गया कि अगर वे एसेम्बली में जावेंगे और खिलाफ वोट देंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अगर इस तरह हमारी कांग्रेसी सरकार विरोधी दल के सदस्यों के साथ व्यवहार करेगी तो मैं तो यह कहूंगा कि यह बहुत बुरी बात है।

इसके अलावा जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि पिछले चुनावों में कांग्रेस से खड़े हुए सदस्यों को १२ लाख वोटरों ने वोट दिये थे मगर हमारी तरफ के सदस्यों को १६ लाख वोटर्स ने वोट दिये थे। इसके अलावा हमारे कुछ भाई कांग्रेस की नीति से असंतुष्ट होकर आये हैं। अगर उनके वोटस को भी गिना जाए तो २० लाख वोटर्स हमारे साथ हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह जो संघर्ष इस वक्त में हमारे और कांग्रेस के बीच में चल रहा है वह संघर्ष जनता और कांग्रेस के बीच में है। मैं आशा करता हूं कि इस संघर्ष में जीत जनता की होगी। समयाभाव से इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—माननीय अध्यक्ष.......

श्री अध्यक्ष:—Let other members speak and then you will have an opportunity.

श्री जयनारायण व्यास:—Reply will be given by me also.

श्री अध्यक्ष:—I have got a list of three members. I do not know they are attached anyhow or not. One is Shri Gopilal Yadav, the other is Shri Shridass Goyal and the third is Shri Vedpal Tyagi.

श्री जयनारायण व्यास:—In that case I shall not speak.

श्री अध्यक्ष:—सदस्यों को आठ-आठ मिनट दिये जायेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—Shall I be given only eight minutes.

श्री अध्यक्ष:—Yes, but don't waste your time.

श्री एच० के० व्यास:—माननीय अध्यक्ष, मेरा घंटे दो घन्टे बोलने का अभ्यास है किन्तु उसके लिये ८ मिनिट में समाप्त करने का आपका आदेश.......

श्री अध्यक्ष:—Regulate yourself to it.

श्री एच० के० व्यास:—मैं, जो यह प्रस्ताव पेश किया गया है इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ बातें पेश करना चाहता हूं और चूंकि बहुत कम समय दिया गया है अतः उनके विस्तार में न जाकर केवल संक्षेप में संकेत रूप से ही कहूंगा। मैं इसलिये समर्थन करता हूं कि जो हकूमत आज है उस हकूमत ने राजस्थान के इस इलाके, देश के इस हिस्से

के हित के प्रति अपना फर्ज अदा नहीं किया और उस संबन्ध में उसने अपनी नाकाबलियत साबित की है। (चिअर्स) मैं खास तौर से उस बात का जिक्र करना चाहता हूं, उन मदों का जिक्र करना चाहता हूं जो सेन्टर और राजस्थान सरकार के बीच आर्थिक समझौते के रूप में सामने आये। न वह सिर्फ राजस्थान सरकार की आर्थिक आमदनी के बहुत बड़े जरिये को इस लेन-देन के अन्दर कायम करने का प्रयत्न किया गया बल्कि जैसा कि फाइनेन्स मिनिस्टर फरमा रहे थे उस दिन और जैसा फाइनेन्स कमिशन की रिपोर्ट के पेज १८ पर मौजूद है करीब ४५ लाख का बोझा और अपने सिर पर मंड लिया जिसका प्रिवी पर्स से ताल्लुक है। उन्होंने उस दिन यह कहा था और फाइनेन्स कमिशन की रिपोर्ट में यह दर्ज है कि हेड ओफ स्टेट पर ५ लाख से ज्यादा खर्चा नहीं लेना चाहिये। लेकिन ४५ लाख रुपये के खर्च का बोझा आज हमारे ऊपर है और इसकी जिम्मेवारी हुकुमत पर है, उनके सहयोगियों के ऊपर है। इसको दूर करने के लए अब तक प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। Finance Commission की रिपोर्ट भी हाउस के सामने बहस के लिए नहीं लाई गई।

मैं दूसरे विषय की ओर संकेत करना चाहता हूं जिसका हमारे प्रान्त की अर्थ व्यवस्था से संबन्ध है। हमने और आपने सुना है कि हमारे प्रान्त की आर्थिक हालत कमजोर है, परन्तु इस हकूमत ने जो कायदा जागीर abolition का पास किया है उसमें दस गुना एवजाना देने का तय किया है और इससे १२॥ करोड़ रुपये का खर्चा राजस्थान प्रान्त को होने वाला है। यदि हमारी आर्थिक हालत गई गुजरी है तो यह १२॥ करोड़ रुपयों का खर्चा हम किस प्रकार सहन कर पायेंगे, इसको हकूमत ने कुछ सोचा नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस तरह "प्रान्त का हित करने का" जो फर्ज था उसको हकूमत ने अदा नहीं किया है। मैं मुख्य मंत्री और कांग्रेस दल के वर्तमान नेता का ध्यान Finance Commission के Memorandum की ओर खींचूंगा जिसमें यह मंजूर किया गया है कि १९½ करोड़ रुपये की Security धनराशि राजस्थान बनने के समय उपलब्ध हुई थी। उसको अब हम इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। या तो वह बेच दिया गया है या १०½ करोड़ के Imperial Bank के ओवर ड्राफ्ट Imperial Bank से उठा लिये गए हैं। जिस हुकूमत ने ३ साल में प्रान्त की इस प्रकार आर्थिक व्यवस्था की है, शासन चलाया है, १९½ करोड़ का Development होना चाहिये, इसके बजाय खर्च कर दिया है और अगले साल हमारे पास कुछ भी Reserve नहीं रहेगा। ऐसी हालत पैदा करदी है। यह एक कारण है कि जिससे मैं यह विचार पेश कर रहा हूं कि इस हुकूमत में हमें विश्वास नहीं है और अविश्वास का प्रस्ताव पास करें। धनराशि इस तरह खर्च की गई है और यदि इसी तरह खर्च की जाती रही तो हम क्या तरक्की करेंगे? सांभर झील, चमड़े के गृह उद्योग और अन्य गृह-उद्योगों के जरिये आमदनी बढाने की कौनसी नीति हमारी सरकार ने अपनाई है जिससे हमारे प्रान्त के आम लोगों को आमदनी हो और साथ ही साथ सरकार की आर्थिक स्थिति सुधर सके?

राजस्थान सरकार की ओर से मंजूर किया गया है कि प्रान्त की कुल आमदनी की ७१ फी सदी रकम Taxes से प्राप्त होती है । मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसकी कुल आमदनी Tax की आमदनी से हुई आमदनी का तकमीना लगाया जाय तो वह ७१ फी सदी आये।

इसलिये मैं समझता हूं कि हुकूमत के पक्ष में विश्वास पेश करने का कोई कारण नहीं है ।

आज हमारे प्रान्त के अलग २ तबकों के हित का सवाल है। किसान हमारे प्रान्त का सबसे बड़ा तबका है । उससे ताल्लुक रखने वाला पहला अहम मसला Jagir Abolition का है जिसके बारे में, मैं जिक्र कर चुका हूं और दूसरा अहम मसला सेटलमेन्ट का है। उसमें न कायदे हैं, न सिद्धान्त हैं । नतीजा उसका यह हुआ है कि जहां जवाई स्कीम में नहरी इलाके के लिए राजस्थान सरकार ने ५) पांच रुपया बीघे के हिसाब से लगान मुकर्रर किया है वहां सोजत इलाके के सेटलमेन्ट ओफिसर ने फी बीघा ५।।।=) (पांच रुपये चौहदे आने) लगान मुकर्रर किया है । मजदूरों के जो हक हैं उनको अब तक इस्तेमाल करने के लिये कोर्ट बैठाने में ६ महीने लग जाने का नमूना मौजूद है। जो अनाज हमारे इलाकों में मिल रहा है उसकी ओर मैं खाद्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । Sample हमारे पास डाक से आया है। Ward Number १२ की राशनकी दुकान से जोधपुर में जो अनाज दिया जाता है उसमें सिर्फ कीड़े ही नहीं हैं बल्कि वह खाने के लायक भी नहीं है । वह कोथली (थैली) मैं सरकार के सामने पेश कर देना चाहता हूं ।

(धान का सेम्पल सदन की मेज पर रखा गया)

श्री गोपीलाल यादवः--माननीय अध्यक्ष ! आज मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं । मेरा यह विश्वास है कि मौजूदा हकूमत राजस्थान के शासन को सुचारू रूप से चलाने की क्षमता नहीं रखती । मैं यह मानता हूं कि यदि यही हकूमत कुछ दिन और रहने दी जाय तो देश में निश्चित रूप से अराजकता पैदा हो जायगी । मैं आज के शासन को शासन कहने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे बहतर शासन तो दुनिया के उस हिस्से में जहां हबशी लोग रहते हैं, वहां मिलता है; यदि हम कहें कि यहां पर भी शासन चलाया जाता है। देखना यह है कि आप इसको शासन के नाम से पुकार सकते हैं कि नहीं। मेरा मत है कि इसे शासन का नाम नहीं दिया जा सकता। इसे पक्षपात का नाम या धांधलीबाजी का नाम दे सकते हैं। मैं कुछ दो चार बातें ही पेश करूंगा ।

सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि मौजूदा हुकूमत देश की भलाई के लिये नहीं बल्कि एक दल और पार्टी की भलाई के लिए चलाई जा रही है। जितने काम इस सरकार की ओर से किये जा रहे

हैं इसी उद्देश्य से किये जा रहे हैं। यदि इस पार्टी में बंटवारा भी होता है तो इसी नीति को मद्देनजर रखते हुए होता है।

यदि काश्मीर फ्रंट से कोई सिपाही आये और वह कहे कि मैं आजादी की लड़ाई में लड़ा हूं, मुझे सरकार में लिया जाय तो वह सरकार कितने दिन चल सकती है। जिन कांग्रेसियों ने पिछली आजादी की लड़ाई लड़ी उनको पेन्शनें दे दी जायं, अगर इसके लिए हमें ४–५ करोड़ रुपया खर्च भी करना पड़े तो कोई बात नहीं; लेकिन इसके बदले में नई जागीरदारी पैदा करना, परमिट देना यह हम किसी प्रकार सहन नहीं कर सकते।

मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि जागीरदारी को खत्म करने के लिये मैं वह आदमी हूं जो इसके लिये कटिबद्ध हो। पर जिस नीति पर हमारे यहां के पुराने राजा लोग चला करते थे उसी नीति पर हमारी आज की सरकार भी चल रही है। पहले के राजा लोग अपने मददगार लोगों को जागीरें दिया करते थे लेकिन आज की सरकार अपने मददगारों को कई बीघों के फार्म, एक एक लाख रुपयों की लागत की जमीनें, मोटरों के परमिट-जिनमें दो दो हजार रुपये की आमदनी होती है, दे रही है। इस तरह की चीज अच्छी धारणा जनता में पैदा करने वाली नहीं है। दूसरी चीज यह निवेदन करूंगा कि हम आज यहां बैठे हैं, कानून बनाने के लिये। इस मौजूदा हकूमत ने कानून बनाने में क्या परम्परा डाली है! हिन्दुस्तान में हाउस आफ लॉर्ड ज के स्थान पर कौंसिल ओफ स्टेट है और अन्य स्थानों पर भी दो दो हाउस हैं। ये इसलिये हैं कि कहीं हम जल्दी से गलत कानून न बनालें। एक हाउस किसी कानून पर सोच विचार करे फिर दूसरा हाउस भी उस पर गौर करे और बाद में उस पर अमल किया जाता है। कानून बनाने में ऐसी ही परंपरा डालनी चाहिये। जिन कानूनों पर लाखों आदमियों का भविष्य निर्भर है और लोगों पर सीधा असर पड़ता है, वे यहां पर दस ही मिनिट में पास कर दिये जाते हैं। करौली में लगान १० रुपये बीघा लिया जाता है तो भरतपुर में १ रुपया बीघा लिया जाता है क्योंकि वहां पर पहले ऐसा ही रिवाज था। एक तरफ तो आप जागीर एरिया में १/६ हिस्सा रेन्ट के रूप में लेते हैं यानी एक बीघा में १२ मन अनाज पैदा होता है तो उसमें से २ मन ले लिया जाता है। यदि १ मन अनाज की कीमत १५ रुपया है तो कुल ३० रुपये लगान के रूप में देने पड़ेंगे, इस तरह के कानून पास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिन्होंने दस हजार रुपये लगाकर १०० बीघा जमीन खरीदी है उन्हें कहा जाता है कि तुम ७५ रु० लेकर यह जमीन छोड़दो। आपको एक से कानून बनाने चाहिये थे जिससे लोग यह नहीं कहते कि इन कानूनों को अलवर और भरतपुर में क्यों नहीं लागू किया जाता है। दूसरी तरफ कोटपूतली के लोग कहते हैं कि अगर इस तरह के कानून हम पर लागू किये गये तो हम कांग्रेस का साथ देना छोड़ देंगे। दूसरी तरफ अलवर–भरतपुर के लोगों के साथ यह अंधेर हो रहा है कि हजारों किसानों के खड़े खेत जुलाई से सितम्बर के महीनों में इधर से उधर देदिये जाते हैं, यद्यपि उन किसानों ने कोई अपराध नहीं किया। सप्लीमेन्ट्री नियम बनाकर उन

लोगों के साथ इसलिये ज्यादती की जाती है कि उससे कांग्रेसी लोगों के भाई बन्धुओं का फायदा हो सके। इसलिये नियम हर साल बदलते जाते हैं। ऐसे कामों के लिये जिलों में कमेटियें बनाई जाती है जिनको ऐसे अधिकार दिये जाते हैं जो कलेक्टरों को भी नहीं दिये जाते और इस प्रकार की कमेटियों को सर्वोसर्वा बनाया जाता है। मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि कोई भी इन में एक भी बात को झूठा साबित नहीं कर सकता।

दूसरी बात है सरविसेज के संबंध में। इन्टिग्रेशन इस कदर गलत तरीके से हो रहा है कि एक तहसीलदार की तब्दीली भरतपुर से दूर हो जाती है। लेकिन वहां के कांग्रेसी मित्रों को उन तहसीलदार महोदय की जरूरत है तो उनकी बदली फिर दूसरे ही दिन रद्द करदी जाती है और यदि तीसरे दिन वे कम्युनिस्ट को मदद देना चाहते हैं तो फिर उनकी बदली सैकड़ों मील की दूरी पर करदी जाती है। एक न ीं हजारों ऐसे चार्जेज़ हैं जिन के बल पर हमारे मित्र सही कहते हैं कि वाकई कोई शासन राजस्थान में इस समय है ही नहीं। यदि राजस ान की जनता को अन्याय और पक्षपात से बचाना चाहते हैं तो आज सब मिलकर इस हकूमत को खत्म करदें।

श्री श्रीदास गोयल:—अध्यक्ष महोदय, आज मैंने यह जरूरी समझा कि इस हाउस के सामने में भी अपने विचार प्रकट करूं। मैं ऐसा मानता रहा हूं कि कांग्रेस द्वारा देश के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भला होना चाहिये था और यह मेरी निश्चित धारणा थी और मैं यह भी मानता था कि चुनाव तक थोड़े समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें बनीं और बिगड़ीं लेकिन उस समय संभवतः प्रजा का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण सुधार नहीं हो सके। मैंने अनुभव किया, इस छः महीनों में, कि कांग्रेस में रह कर, जनता के प्रति हमारी बहुत बड़ी ेन और जिम्मेदा ी है, जिसको निभाने के लिये, जैसा कि एक मित्र ने अभी कहा है, हम ो यही मुख्य ध्येय बनाकर आगे चलना पड़ेगा। मैं राम और भरत को मानने वाला हूं। हमने चुनाव के समय जनता से यही कहा था कि हम राम-राज्य की स्थापना करेंगे क्योंकि हमने रामराज्य का चित्र खींचा था। लेकिन मैंने यह देखा कि केवल चित्र खींचने से काम नहीं चल सकता, हमें कुछ करना चाहिये। कांग्रेस मे रहते हुए छः महीनों में मैंने यह देखा कि हमारी सरकार का ढांचा इस प्रकार का है कि इस ढांचे से हम राम–राज्य की कल्पना नहीं कर सकते और खेद के साथ में निवेदन करता हूं कि जैसा कि प्रजा पार्टी के अन्य मित्रों ने अपने भाव व्यक्त किये हमने जब यह देखा कि कांग्रेस के साथ रहकर हमने जो वादे किये थे वे पूरे नहीं कर सकते और इसका परिणाम यह हुआ कि हमको उधर से इधर आकर बैठना पड़ा। जो व्यक्ति इतनों वर्षों तक एक संस्था की सेवा करते रहे उन्हें किस हालत में उसे छोड़ना पड़ा, यह सोचने की बात है।

में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी केवल एक मान्यता है और वह यह है और हम यह चाहते हैं कि राजस्थान की जनता का जीवन-स्तर ऊंचा उठे। उनकी आवाज को ऊंचा उठाकर उन्हें आगे बढ़ावें। जनता की जो मांगें हैं उनके प्रति भी हमारी कुछ देन है। संयुक्तदल और ट्रेजरी बेन्चेज में ऐसे व्यक्ति विद्यामान हैं जिनको देखकर हम सबको गर्व होना चाहिये। लेकिन साथ ही में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेजरी बेन्चेज में से जिन लोगों के हाथ में जब शासन व्यवस्था आती है और कुर्सियों पर जब कुछ व्यक्ति बैठते हैं तब बहुत से व्यक्ति अपने आदर्शों को भूल जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मित्र जो ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए हैं हमारे उन मित्रों की भावनाओं को पहिचानें जो जनहित के लिये सब कुछ करने को तैयार हैं। हमारे बहुत से मित्र ऐसे हैं जो आज की शासन व्यवस्था से असन्तुष्ट हैं और हम यह चाहते हैं कि शासन व्यवस्था की बागडोर जिस तरह से चल रही है उसे जनहित की दृष्टि से जरूर बदलना चाहिये। यदि इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो स्थिति सुधरनेवाली नहीं है।

मैंने एडी से चोटी तक पुकार की। एक असेम्बली का सदस्य होने के नाते भी पुकार की; किन्तु शासन व्यवस्था ऐसी थी कि उनको कोई राहत नहीं मिली; हजारों किसान फैमिलीज को नुक्शान हो गया। एक महाशय ट्रेक्टर लाये और ४०-५० काश्तकारों की जमीनों को छीन डाला; कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई।

मैं अपने साथियों से जो आज ट्रेजरी बेन्च पर बैठे हुए हैं प्रार्थना करूंगा कि वे हमारी भावनाओं को पहिचानें। अगर ठीक रास्ता अपनाया जाता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री वेदपाल त्यागी:-अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने दिल में एक दर्द लेकर यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज से पांच सात दिन पहले मैं भी इस ट्रेजरी बेन्च का एक सदस्य था और एक ओहदे पर भी बैठा हुआ था, उस पार्टी के। इसलिए मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि बहैसियत सेक्रेटरी के जो बातें मालूम हुई थीं उनका बयान यहां न करूं क्योंकि यह पोलिटिकल डिसओनेस्टी होगी।

मैंने कांग्रेस पार्टी से क्यों इस्तीफा दिया और ट्रेजरी बेंच से हटकर दूसरी साइड में क्यों बैठना पड़ा है; मैं इन कारणों पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा?

श्री अध्यक्ष:-You will speak on the No-Confidence motion and nothing on private affairs.

श्री वेदपाल त्यागी:--I am sorry.

मैं अपना भाषण ८ मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः–You are wasting your time.

श्री वेदपाल त्यागीः--I shall not do now.

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश को एक हजार वर्ष की गुलामी के पश्चात् यह मौका मिला है कि हम अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करें। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के महान् प्रयत्नों से हमें यह मौका मिला है। कांग्रेस एक महान् संस्था है, एक बड़ी संस्था है–जो भारतवर्ष पर राज्य कर रही है और यह भी मानता हूं कि कांग्रेस की अध्यक्षता एक ऐसा आदमी कर रहा है जो भारतवर्ष का ही नहीं विश्व का महान् व्यक्ति है। लेकिन प्रजातन्त्र में एक व्यक्ति से ही हकूमत नहीं चल सकती। पार्टी ऐसी होनी चाहिये, उस प्रजातन्त्र को चलाने में, अध्यक्ष महोदय, कि वह पूरी तरह से उस महान व्यक्ति को सहायता दे। आज चाहे कांग्रेस अध्यक्ष कितना ही ऊंचा व्यक्ति क्यों न हो, चाहे किसी भी पार्टी के हाथ में हकूमत क्यों न हो, किन्तु राजस्थान का भला तो राजस्थान के लोगों से ही होगा। यह मुझे कहते हुए दुःख भी होता है और दर्द भी होता है कि आज हमने रिवोल्ट किया है। प्रजातन्त्र राज्य में ऐसा होता है। आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा ही है कि राजा फारूख के भ्रष्टाचारी शासन के खिलाफ रिवोल्ट हुवा। हमारा यह रिवोल्ट इस प्रकार का रिवोल्ट नहीं है। किन्तु जिस प्रजातंत्र को हम अपनाने जा रहे हैं उसमें अपनी भावना को व्यक्त करने का यह एक तरीका है। उस लीडर में जिसमें हमें विश्वास न हो, जिसकी लीडरशिप में हमें शंका हो और हम यह देखें कि राजस्थान के आगे बढ़ाने में वह असमर्थ है तो हमें उसके विरुद्ध रिवोल्ट करने का अधिकार है। जिससे राजस्थान को उनके हाथों में सौंपे जो इसको सम्हालने की शक्ति व क्षमता रखता हो, ताकि राजस्थान का भविष्य जो अन्धकारमय बनता नजर आता है, वह न हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करने का साहस करता हूं कि प्रजातंन्त्र में सब से बड़ी चीज है सर्विसेज को ठीक रास्ते पर चलाना, निष्पक्ष होकर चलाना लेकिन हमने देखा कि जिस संस्था के द्वारा यह राज्य चलाया जा रहा है उसके बड़े बड़े लोग, उसके लीडर्स प्रयत्न करते हैं कि सर्विसेज में पार्टी बन्दी हो। अभी अभी भीलवाड़ा में जो कुछ हुआ, जो आन्दोलन चला मजदूरों का, उसको हमने देखा और यह देखकर हमें विश्वास होगया है कि राजसत्ता का किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, और किया जाता है। मन–माने ढंग पर म्युनिसिपेलिटियां भंग कर दी जाती हैं पंचायतों के चुनाव भंग कर दिये जाते हैं, केवल अपने मन चाहे आदमियों को चुनावों में लाने के लिए। उन आदमियों को लाने में जो जो प्रयत्न किये जाते हैं, प्रजातन्त्र के लिए, ये घातक बातें हैं। यदि हमें प्रजातन्त्र रूपी इमारत बनाना है तो हमें उस इमारत की नींव

को ठीक तरह से, सुन्दर तरीके पर रखना चाहिये । यदि गलत तरीके स इमारत की नींव रखी गई तो जो भवन निर्माण हम करने जा रहे हैं वह ठीक तरह से नहीं हो सकेगा । पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि पार्टी ने चन्दा इकट्ठा किया, वह इस तरीके से किया था कि कोई भी व्यक्ति उसे ठीक नहीं समझता। मैं यह मानता हूं कि कोई भी पार्टी विना चन्दे के इलेक्शन नहीं लड़ सकती, किन्तु जो तरीके इस्तेमाल किये गये, वे बुरे हैं । जिस तरह से रुपया इकट्ठा किया गया, परमिट काट कर, कटवा कर, लाइसेन्स इश्यु (Issue) कर; वह इस महान संस्था के लिए सुन्दर चीज नहीं है । ऐसी हालत में हमारे लिए कोई तरीका नहीं रह जाता कि ऐसी संस्था के खिलाफ हम रिवोल्ट करें विद्रोह करें और जनता को यह बतायें कि आज इस बात की जरूरत है कि जो प्रजातन्त्र को ठीक तरह से नहीं चलाते उनके हाथ से शासन लेलें और फिर उनको दें जो ठीक तरह से उसे चला सकें ।

आज हम देख रहे हैं कि प्रान्त में एक सोचनीय हालत पैदा हो गई ह। कांग्रेस में केवल ८२ आदमी चुनकर आये जो प्रजातन्त्र को सही रूप में चलाने में असमर्थ रहे। अब हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया है। विरोधी दल में अलग अलग टिकटों पर लोग चुनकर आये ह जिनमें जागीरदार भी हैं। हमारे सामने यह सवाल खड़ा किया जाता है कि कांग्रेस की खिलाफत यदि हम करेंगे तो जागीरदारों के हाथों में सत्ता आजायगी । म आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस चीच से अनभिज्ञ नहीं हैं। म इतना कह दूं कि जो छोड़ कर आये ह उनकी ऐसी शक्ति बन गई है कि उनके वगर कोई भी पार्टी राज्य को ठीक नहीं चला सकती; चाहे वह कांग्रेस हो या संयुक्त दल। उनके मत में ऐसा बल है कि यदि जागीरदार लोग राज्य चलाने के इच्छुक हैं तो उनका यह फर्ज है कि जो प्रोग्राम हमने दिया है उसको वे मानें, उसको पसन्द करें और स्प्रिट ओर लेटर्स में उसे कार्य रूप में परिणत करें । अध्यक्ष महोदय, म निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई हव्वा नहीं, हम डरते नहीं । हम अपना आत्म विश्वास रखते हैं और उसी के साथ आगे चलते ह। हम उन लोगों के हाथ से राज सत्ता ले लेना चाहते हैं जो इसे सुचारु रूप से चलाने में नाकामयाव हुए हैं । और ऐसा करने से दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा कि राज सत्ता जो ली जाती है वह जनता की सेवा और उसकी भलाई के लिए ही; न कि किसी व्यक्ति विशेष की भलाई के लिए। ऐसी हालत में अध्यक्ष महोदय, मैं उन भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो कि ट्रेजरी बेन्च पर बैठे हैं कि वे सोचें कि लीडर शिप सही रास्ते पर उन्हें लेजाती है या नहीं, वे सत्ता अपने हित में रखना चाहते हैं या जनता के हित में उसे लाना चाहते हैं। वे सही रूप से इस तथ्य को पहिचानें और हमारे हाथ मजूबत करें ।

श्री जयनारायण व्यास:—अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने कोई चार भाषण हुए हैं। पहला भाषण प्रस्तावक महोदय का है। उन्होंने बहुत सारी बातें शासन के विरुद्ध कही हैं, बहुत सारे आरोप शासन के विरुद्ध लगाये हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको यहां प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हांका जा सकता है ताकि लोगों के अन्दर जो बातें उन्होंने कही है वे सच्ची सच्ची नजर आवें। मैं उनकी तफसील में जाने का प्रयास नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे प्रस्तावक महोदय सेवा की भावना से उत्साहित हैं। दल दल से ऊंचा उठ कर, न जाने कितने कितने उदात्त विचारों से प्रेरित होकर, अपना भाषण दे रहे थे। साथ ही साथ हमारे दूसरे साथी दुःखी हैं, उन्हें दर्द है और हमारे एक साथी का तो यहां तक कहना है कि इस सरकार से तो हब्शियों की सरकार अच्छी है। मुबारिक हो उन्हें ऐसी सरकार। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस एक उसूल पर खड़ी है। जो हमारा लक्ष्य है हम उसी पर चलें। मेरे साथी विरोधी दल के नेता, श्री जसवंतसिंहजी ने एक ट्रेक्टर चलाने की बात कही है। इस प्रकार न जाने क्या क्या बातें उन्होंने कहीं। दूसरी तरफ मेरे दूसरे साथी हैं। वे इसलिए नाराज हैं कि दूसरी तरह की बातें हो रही हैं। सरकार को दोनों तरफ की नाराजगी का पता है। नाराजगी की तफसील का, ट्रेक्टरों की तकलीफ का, उनको चलाने में तकलीफ हो रही है, उस तफसील का मुझे पता नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर अवश्य प्रकाश डालेंगे।

यह भी एक माननीय सदस्य की ओर से कहा गया कि लाखों रुपयों के दरख्त दे दिये गये वोट हासिल करने के लिए.......

श्री गोपीलाल यादव:-It is in the notice of the Chief Minister.

श्री टीकाराम पालीवाल:—मेरी जानकारी में ऐसे कोई दरख्त नहीं है।

(भाषण जारी करते हुए)

श्री जयनारायण व्यास:—मैं इन बातों में अपना समय खराब नहीं करना चाहता। मैं दो एक बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं जो शासन से संबन्धित कही गई। एक बात जो कही गई है वह है जवाई बांधके सिलसिले में। जवाई बांध से मेरा संबन्ध रहा है; मेरा कुछ थोड़ा सा हाथ इसमें रह चुका है, इसलिये थोड़ी जानकारी के तौर पर अर्ज करना चाहूंगा कि यह बात ठीक है कि यह योजना सात बरसों से चल रही थी। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि यह काफी पहले से चल रही थी और वह पूरी नहीं पड़ सकी। इसके कारण जो हैं वे भी उनकी जानकारी में हैं। सन् ४८ तक बराबर झगड़ा रहा कि इधर से नहरें नहीं निकल सकतीं, उधर से नहीं निकल सकती। इस संबन्ध

में मेरे माननीय मित्र जागीरदार सत्याग्रह तक करने को तैयार हो गये और सन् ४८ में उनमें से गिरफ्तारियां भी करनी पड़ीं । ये सब बाधायें जो आईं वे सरकार की वजह से नहीं किन्तु बाधायें पैदा की गईं जागीरदारों की तरफ से । इस के बाद में यह बात ठीक है कि जो स्कीम दी गई वह पूरी की गई, उसकी तारीफ करना हर इन्सान का धर्म है। जो कुछ बाधायें जवाई बांध के निर्माण में पैदा की गईं वह कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। रेनफाल की रिपोर्ट की गई उस समय जागीरदार के हाथ में जवाई की स्कीम थी । रेनफाल कीरिपोर्ट गलत साबित हुई । उसकी जानकारी के लिये हमें वापिस देखना पड़ा । इसमें कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं । पूना की लेबोरेटरी से पता लगाया गया और उससे पता लगा कि जितना पानी बताया गया उतना नहीं बरसेगा । अतः बिजली की योजना बन्द करनी पड़ेगी । जवाई पर काम शुरू हुआ वह बराबर बढ़ता रहा । जवाई से वाकई पानी मिल रहा है । जवाई का सारा इलाका जागीरी इलाका है। जितना सहयोग सरकार को जागीरदारों की ओर से मिलना चाहिये नहीं मिल रहा है। इसमें भी बहुत सी आशंकाओं की भावना होती है तो मैं उनमें पड़ना नहीं चाहता ।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करय ना चाहता हूं वह है एक दुर्घटना के बारे में, जिसको बहत तूल, माननी सदस्यों ने दिया है, जिसका मोशन के समर्थक ने समर्थन भी किया है। माननीय विजयसिंहजी के बारे में कहा गया कि उनको जबरदस्ती लेजाया गया। यहां पचासों गांवों के जागीरदार हैं, काफी हट्टे कट्टे हैं; उनके लिए यह कहा जाना कि उनका अपहरण कर लिया गया; में तो इसके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बातें करना उनके इनटेलिजेनशिया का थोडा सा अपमान करना है । वे कई बार आये, तबियत का हाल पूछने आये । माननीय सदस्य को यह सब मालूम है। मैं इस विषय में ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका जो बयान है वह अखबारों में भी छपा है; उसको माननीय विरोध पक्ष के उपनेता ने बताया है। वे बड़े वकील हैं। वे जानते हैं कि बयानात कई तरह के होते हैं कई कई केस होते है । उनके काउन्टर बयानात भी कैसे होते हैं; इन सब बातों से वे अच्छी तरह से परिचित हैं। उन बयानों से संबन्धित व्यक्ति हैं श्री मथुरादास माथुर, जिन्होंने इस बयान का खंडन किया है। उनके इस कागज पर साइन हैं, वह मैं हाउस की टेबल पर रखता हूं ।

(श्री मथुरादास माथुर का बयान सदन की टेबल पर रखा गया । कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अब मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि हमारा एक आर्थिक प्रोग्राम है। हम जागीरदारी प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं, जागीरदारों को नहीं, जैसा कि मैं कई बार अपने भाषणों में कह चुका हूं । इस बात की लोगों को शिकायत रहती है कि हमारी नीति इस विषय में काफी उदार रही है । हम ज्यादा

कम्पेन्सेशन दे रहे हैं; इस आशंका को मैं स्वीकार करता हूं। हम चाहते हैं कि यह कार्य सद्भावना के साथ पूरा हो। यह सब हमने सद्भावना से प्रेरित होकर किया है, इसलिये भी कि देश में शान्ति रहे। भूमि सुधार की नीति हमारी नीति का अंग है। कई लोग इस बात से भी नाराज हैं कि छठा बांटा क्यों किया गया। यह इसलिये किया गया है कि हम किसानों को राहत देना चाहते हैं।

भीलवाड़ा के मजदूर-आन्दोलन की बात कही गई। यह कहा गया कि वहां बहुत गड़बड़ी हुई। किन्तु मैं कहूंगा कि भीलवाड़ा के मजदूरों का मामला बड़ी चतुराई के साथ सुलझाया गया है। कांग्रेस मजदूरों के साथ है। वह मिल मालिकों को भी तकलीफ देना नहीं चाहती। लेकिन यदि मिल मालिक मजदूरों का शोषण करेंगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी नीति है कि हम मजदूरों की तकलीफों को मिटायें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो।

हमारी सामाजिक नीति भी है। आर्थिक नीति के साथ साथ हम जाति-पांति में भेदभाव नहीं चाहते। एक अछूत है, इस कारण वह नीचा रहे और दूसरे बहुत ऊंचे उठ जायं; इस प्रकार हम भेदभाव नहीं चाहते। इस ऊंच-नीच के भेद को मिटाना भी हमारी सामाजिक नीति का एक अंश है। आर्थिक व्यवस्था में भी हम भेदभाव पसन्द नहीं करते। इस विषय में सौतेली मां का सा व्यवहार नहीं करना चाहते।

राजपूत जाति के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस राजपूतों की विरोधी है। मुझे यह सुन कर दुःख होता है। मैंने कई बार इसके लिए कहा है कि मुझे किसी जाति विशेष से द्वेष नहीं है। मैंने कई बार इस जाति की प्रशंसा की है। जातीयता के नाम पर जो यह जातिवाद फैलाया जा रहा है वह हानिकारक है। मैं जाति के इन नेताओं से अपील करूंगा कि वे जाति वाद का भस्मासुर पैदा न करें, वह हानिकारक है आपके लिए भी और हम सबके लिए भी।

हमारे प्रान्त में नाना प्रकार की योजनायें चल रही हैं। शायद विरोधी पक्ष का ध्यान उस तरफ नहीं है। हमारे प्रान्त में भाखरा और नांगल योजनायें चालू हो गयी हैं। इसका जिक्र उन लोगों के ध्यान में कम आया है। चम्बल की योजना काफी अरसे से चल रही है, इस पर काफी रुपया खर्च किया जा रहा है।

शान्ति और व्यवस्था के लिए जो कुछ भी कांग्रेसी सरकार ने किया है वह किसी से छुपा नहीं है। यह बात ठीक है कि कुछ लोगों को, जिनको सजा मिलनी चाहिये थी, कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से सजा नहीं मिल सकी। कुछ लोगों को सजा मिलने से उनके रिश्तेदारों को दुःख हुआ। सरकार इसी प्रकार चलती है। जो दोषी हैं और जो दोषी तत्वों को सहायता देते हैं उनकी मदद किसी को नहीं करनी चाहिये, इसीमें हमारा भला है।

अब मैं एक बात थोड़ी और कह देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस सरकार के बारे में यह कहा गया है कि यह तो शक्ति का शासन चलाना चाहती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जिस वक्त हम यह

मानेंगे कि हमारे अन्दर शक्ति का शासन या पॉवर पोलिटिक्स की बात बहुत घुस गई है तो उस समय हम यहां रहना पसन्द नहीं करेंगे । हमारे पास रचनात्मक कामों के लिए बहुत वक्त है। लेकिन एक रंगदार चश्मे से गवर्नमेन्ट को देखा जा रहा है और रंगदार इसलिये भी है कि जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं उन आर्थिक परिवर्तनों के कारण कुछ लोगों के दिमाग की गर्मी बढ़ गई है । वे आर्थिक परिवर्तन होने वाले हैं, टलने वाले नहीं हैं । कांग्रेस कोई पोलिटिकल ब्युरोक्रेसी पैदा करने वाली नहीं है, वह राजनैतिक नौकरशाही पैदा करने वाली नहीं है । कोई भी नौकर राजनीति में घुसेगा तो कांग्रेस उसको डिसकरेज करेगी, केवल डिसकरेज ही नहीं करेगी बल्कि उसे सजा देगी, सजा देने के लिए अपनी सरकार को बाध्य करेगी । उन बातों को छुपाया जा रहा है, जबकि कुछ लोग सरविसेज को अपनी सरकार के विरुद्ध भड़काने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं । कई लोगों के खुद के दिमाग में जो चीज है उसका रिफलेक्शन सरकार के ऊपर आरोप लगा कर नहीं करना चाहिए । मैं खुले तौर पर ऐलान कर देना चाहता हूं कि हम कोई भी पोलिटिकल ब्युरोक्रेसी पैदा करना पसन्द नहीं करेंगे, बल्कि नापसन्द करेंगे ।

एकीकरण के सवाल को लेकर बड़ा तूल दिया गया है । मैं समझता हूं कि एकीकरण का मामला जो है उसमें काफी कठिनाइयां थीं । यह, जिस वक्त राजस्थान बना था, उस समय चालू हुआ था और उसमें कई तत्वों का ब । हाथ रहा है। कांग्रेस सरकार का भी हाथ रहा है और कांग्रेस सरकार के अलावा उसमें और कई तत्वों का भी हाथ रहा है । इस एकीकरण में बाधायें होने के कई कारण हैं। वह कारण आफिशियल के अलावा नॉनआफिशियल भी हैं। जो तत्व एकीकरण में बाधक हुए हैं आज वे ही तत्व हम देख रहे हैं कि एकीकरण के लिए इतने अधिक उतारू हुए हैं । एकीकरण की जिम्मेदारी हम सब पर है। एकीकरण के काम को आसानी से चलाने में जो बाधायें आई हैं उनको दूर करने की कोशिश करें तो हमारा एकीकरण ठीक हो सकेगा।

पूर्व राजधानियों का सवाल भी उठाया गया था। राजधानियां जो पहले थीं वे उस स्थिति में नहीं हैं। यह संभव भी नहीं था । महकमें वहां कई हैं और कई होने वाले भी हैं। पुरानी राजधानियों की उन्नति के लिए एक समिति बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट, जहां तक मेरा ख्याल है, सरकार के सामने है और उसमें जांच पड़ताल की कई बातें हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि राजधानियों की वह बहबूदी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि वे वापिस राजधानियां नहीं बन जायें, जो कि नामुमकिन है। फिर भी हम सब मिलकर राजधानियों की तरक्की के लिए, जो जो रचनात्मक सुझाव हैं, रखें। सरकार का भी काम था कि राजधानियों को ऊंचा उठाने की कोशिश करती। हम सब राजधानियों को ऊंचा उठाना पसन्द करते हैं लेकिन जिस तरीके से चीज रखी गई है वह ठीक नहीं है।

मैं यही कहना चाहता था कि कांग्रेस की सरकार जो है वह एक लक्ष्य के लिए काम करती है, एक प्रोग्राम के लिए काम करती है और उस लक्ष्य

और प्रोग्राम को पूरा करने में जो लोग कांग्रेस को सहायता दे सकें वे जरूर दें। जो लोग कांग्रेस को नापसन्द करते हैं वह नापसन्द करते रहें। जिनको मत देना है कांग्रेस के इसी लक्ष्य और प्रोग्राम के लिए, वे दें। नहीं देना चाहते हैं तो जबरदस्ती की बात नहीं।

विरोधी पक्ष के नेता और उप-नेता ने यह विश्वास प्रकट किया है कि उन्हें इतने लोगों के वोट मिल गये हैं। मिलेंगे या नहीं यह तो अभी मालूम पड़ेगा। वे, जो विरोधी पार्टी में मिले या नहीं, उनकी बातों से कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है कि वे किस तरह से सामन्ती तत्वों के ऊपर अंकुश रख सकेंगे। वे लोग अपने सामने की तरफ का फिक्र नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री कानसिंह:—अध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां हाउस में भी मेम्बर्स को अपनी ओर करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि हाउस में यहां जाहिरा तौर पर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष:—क्या आपके पास कोई आया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव माननीय श्री इन्द्रनाथ मोदी ने रखा और उन्होंने बहुत सी बातें इस सदन के समक्ष पेश कीं। और भी बहुत से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बोले। मैं यह बराबर देख रहा हूं कि राजस्थान की आम भलाई के बारे में नीति का कोई बड़ा भेद खड़ा हुआ हो या आम जनता के लिए कोई अधिक क्रान्तिकारी नीति को अपनाने का प्रश्न खड़ा हुआ हो, यह बात नहीं है। इस सारी चीज के मूल में क्या है, इस बात को भी साथ में टटोलने का थोड़ा प्रयत्न किया जाय।

विरोधी दल के नेता उनके दल के ७० माननीय सदस्यों की बात बोले, लेकिन राजस्थान की करीब सवा करोड़ जनता, जिसमें मेरा मतलव उन किसानों से है, उनके बारे में उन्होंने कोई आगे प्रगतिशील कदम उठाने की बात या जागीरदारी एबोलिशन के बारे में कोई बात और कुछ करने की भावना हो, उसके लिए वे एक शब्द तक नहीं कह सके। यह तो मैं जानता हूं कि जो कुछ किया गया है उसका समर्थन या प्रशंसा वे नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनसे आगे बढ़ने की बात उन्होंने क्या कही है? वह मूल में नजर नहीं आती है, जो कि स्वभाविक है। वे जिस दल के प्रनिनिधि हैं और जिस दल के हाथ में हमारे माननीय वेदपालजी त्यागी सत्ता सौंप कर इस परीक्षण को करना चाहते हैं, वे उनके कार्यक्रम को उनके द्वारा करवाना चाहते ह। दुनिया में किसी जगह यह नहीं हुआ है कि अपने कार्यक्रम को दूसरों के द्वारा, जिसका कि मूल नीति से मतभेद हो, क्रियान्वित करवाया जा सके। उस कार्यक्रम को वर्ग विशेष में, प्रचलित प्रथा को समाप्त करने के आधार पर क्रियान्वित करने में वे कैसे सफल होंगे? वे यह भी अपने दिल में समझते हैं कि, राजस्थान में, माननीय सदस्यों से, किसी से भी यह छुपा हुआ नहीं है सदियों

से उन्हें काफी अवसर मिला, उस अवसर के अन्दर वे सब कुछ कर सकते थे। लेकिन वे उस ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, बल्कि चारों तरफ किसानों में डर था, वे दबे हुए थे। आज मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि जब से कांग्रेस के हाथों में सत्ता आई है तब से किसान सिर ऊंचा करके घूम सकता है। राजस्थान के अन्दर कांग्रेस सरकार ने किसान के दिल में यह भावना पैदा की है कि वह जमीन का मालिक है। (करतल ध्वनि)।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मूल बात को, इस प्रगति को रोकने के लिए, अविश्वास का प्रस्ताव यहां पेश किया गया है। हमें विश्वास है कि आज जो बहुतसी भूमि लेकर बैठे हैं, आज जो किसानों का दमन करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं वे उस चीज की समाप्ति नहीं देख सकते। वे आज राजस्थान के अन्दर सामन्तवाद को फिर से पनपाना चाहते हैं। उसका प्रयत्न हो रहा है, राजस्थान के अन्दर। हमारे कुछ मित्र यह कहना चाहते हैं कि वे अपने कार्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं। यह एक भूल भुलैया है, एक मृगमरीचिका के समान साबित होने वाला है, वह राजस्थान को एक अंधकार में ढकेलने वाला साबित होने वाला है।

मेरे मित्र, श्री गोपीलालजी यादव, ने अपने भाषण में यह कहा कि राजस्थान प्रोड्यूस रेण्ट्स रेग्युलेटिंग (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५२ बहुत जल्दबाजी से तय हुआ है। एक तरफ तो उन्होंने यह कहा और दूसरी तरफ वे यह कहते हैं कि कोटपुतली के किसान चाहते हैं कि वहां वह लागू किया जाय, लेकिन वहां कुछ कांग्रेसियों की वजह से लागू नहीं किया जा सकता; कांग्रेस वाले नहीं चाहते हैं और किसान चाहते हैं। यह हमारी जीत है कि उन्होंने इस बात को कहा।

दूसरी चीज हमने चुनावों में देखी। जनरल चुनावों के बाद जो ४ चुनाव हुए हैं उनमें हमने देखा है कि जनता की भावना किसके साथ है। हम सदन में आकर इधर से उधर हो जायं, लेकिन इससे कौन इन्कार कर सकता है कि इस सरकार के बनने के बाद जो २ आम चुनाव हुए हैं और जिनका कि देहाती इलाके से सम्बन्ध था, हाल ही में हुए मलारना व किशनगढ़ के दोनों चुनावों ने इस बात को साबित किया कि दोनों चुनावों में जहां कि वहां की आम जनता ने अपना मत दिया है और जहां पर जागीरदारों ने अपना भरसक प्रयत्न किया, साबित कर दिया कि उनकी भावना किधर है और हाउस के सदस्यों के सामने जो उदाहरण रखा है वह मार्ग दर्शन के रूप में उनके सामने मौजूद है।

बहुतसी बातें कही जाती हैं कि माननीय विजयसिंहजी को बहकाया गया और उन्हें किडनेप किया गया। मुझे ऐसी बातें सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं यह नहीं समझ सकता कि उनको कहां ले जाया गया? मैं तो यह कहूंगा कि वे खुद आकर कांग्रेस के मेम्बर बनना चाहते थे। मुझसे जब पूछा गया कि वे कांग्रेस के सदस्य बनना चाहते हैं तो मैंने उनसे यही कहा कि जब तक इसका निर्णय न हो जाए, वे कांग्रेस के सदस्य न बनें। वे·····

एक सदस्य:—मैं यह.......

श्री अध्यक्ष: --Don't interrupt, please.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—माननीय अध्यक्ष, कहते हैं कि उन्हें किडनेप किया गया। मैं पूछता हूं कि किडनेप कहां किये गये ? क्या नीरोज के होटल में ? उन जैसे हट्टे कट्टे और समझदार व्यक्ति किडनेप कैसे किये जा सकते हैं ? यह एक वातावरण बनाया जा रहा है।

अभी हमारे माननीय मित्र श्री एच० के० व्यास ने यह कहा कि बहुत से किसानों को बेदखल कर दिया गया। मैं श्री व्यासजी की बात को मानता हूं कि शायद कुछ बेदखलियें की गई। बेदखलियें होती हैं और इस बात को मैं स्वीकार भी कर सकता हूं और उस बात से आज भी इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस बात से किसानों को तकलीफ हो रही है यह हमको बतलाया जावे कि कितने किसानों को तकलीफ हो रही है और किस तरह से किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। हमें इस बात को सामने रख कर चलना होगा। किसानों की हालत में जो जो परिवर्तन आज हुए हैं और हो रहे हैं उनसे मैं यह बताना चाहता हूं कि किसानों की परिस्थिति में पहले से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और इस चीज से विरोधी पक्ष भी इन्कार नहीं कर सकता। हम यह चाहते हैं कि जिन किसानों के पास भूमि नहीं उनको भूमि मिलनी चाहिये। जागीरदार लोग जो आज तक किसानों से लाग-बाग लेते आ रहे थे और खुद भूमि मालिक बने हुए थे, हम चाहते हैं कि जिनके पास उनकी आवश्यकता से ज्यादा भूमि हो उनको चाहिये कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, उनको दे। आज के जब हम ऐसा कर रहे हैं तो जागीरदार यह कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह न तो जनता के हित में है और न वाजिब है। लेकिन जनता ने इस बात का प्रमाण अभी किशनगढ और मलारना में जो चुनाव हुए, उससे दिया।

हमारे मित्र ने यह बतलाया कि जन-सेवा कांग्रेस की कोई ठेकेदारी नहीं। म यह कहूंगा कि यह कांग्रेस की ठेकेदारी की बात नहीं है, लेकिन जहां तक इस एसेम्बली में सेवा का सवाल है मैं इस बात को भी मानता हूं कि ठेकेदारी दोनों की है। लेकिन बाहर ठेकेदारी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आज भी मैं यह कह सकता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में हुए भयंकर अकाल के समय में जनता को राहत पहुंचाने के प्रयत्न किये थे। मैं यह कहूंगा कि यहां के बहुत से सदस्यों ने उन गांवों को जा कर संभाला तक नहीं। मैं कांग्रेस की सेवाओं की ठेकेदारी तो नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें व्यवहारिक रूप से हमारे सामने आई हैं और अकाल के समय कांग्रेस द्वारा जो सेवाएं की गई और अभी भी की जाती हैं उनसे कोई इन्कार नहीं कर सकता। इन बातों से यह प्रतीत होता है कि दूसरों ने जाकर कोई कार्य नहीं किया।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हबशी देश में जो राज्य-शासन चलता है उससे भी गई बीती सरकार हमारे यहां की है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने

यह कैसे कहा। लेकिन इस बात के कहने के पीछे जिस प्रकार आम तौर पर इस प्रकार के प्रस्तावों के हाउस में प्रस्तुत होने के समय वातावरण बनाया जाता है, बनाया गया है।

अंत में मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के सम्मान और, प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, उनको एक तरफ रख कर, मुख्य मुख्य बातों पर विचार करें और यह देखें कि जो हम आज निर्णय करेंगे उस निर्णय से हम करीब १।। करोड़ जनता के हित में आया कुछ करने जा रहे हैं या नहीं या हमारा मत या फैसला जिस पक्ष में देने वाले हैं उससे जनता का अहित तो नहीं होगा। मैं जानता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग आज कांग्रेस के विरोध में बातें करते हैं उन्होंने सदियों तक राज-काज चलाया है। उनको सदियों तक राज्य चलाने का अवसर मिला है। मैं कहता हूं कि उन्होंने इस अर्से में कौन २ से जन-हित के कार्य किये, जो व्यवहारिक रूप में जनता के सामने रखे जा सकते हों? वे ही लोग आज जन-कल्याण और जन-हित कार्यों की चर्चा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो विरोध करने की कोशिश करते हैं, कि यह विरासत हमें आपकी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मिली है और इतने थोड़े समय में ये सारी बातें जो आप हमसे चाहते हैं और जिनको आपने छोड़ा है, नहीं कर सकते। इतने थोड़े से समय में सारा नक्शा नहीं बदला जा सकता। जो लोग ऐसी बातें करते हैं दूसरों को गलत बातें बताकर गुमराह करते हैं मेरी समझ में यह उचित नहीं।

हमारा यह निर्णय बहुत ही महत्व रखता है। आज तक इतना अर्सा गुजरा है, कौनसा ऐसा सवा करोड़ देहाती जनता के हित के लिये, विरोधी पक्ष के लोगों ने काम किया है। मैं माननीय त्यागीजी से पूछना चाहता हूं कि कौनसा सिद्धान्त आपने आपके सामने देहातों की भलाई का रखा है। इन लोगों का पिछला सारा कार्यक्रम विचारों के आधार पर या आगे के कार्यक्रम के आधार पर या इस कल्पना पर हो कि उससे जनता का हित साधन होगा, मैं कहूंगा कि कल्पना पर चलना और कार्य पर पहुंचना कहां तक ठीक है।

अंत में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस में राजस्थान का भविष्य छुपा हुआ है और हर एक व्यक्ति को अनुभव करना चाहिये कि उन पर अपनी जिम्मेदारी का बहुत बड़ा भार है।

श्री भोलानाथ:-अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रस्ताव के विरोध में बोलने की आवश्यकता हुई है कि चुनावों के बाद से सारे हिन्दुस्तान की नजरें राजस्थान पर लगी हुई हैं। कांग्रेस के हमारे कुछ साथी किन्हीं कारणों से असंतुष्ट हुए जैसा मेरे साथी श्री श्रीदास गोयल ने कहा। उनका कहना यह है कि हमारी सरकार प्रतिक्रियावादी तत्वों के विरुद्ध उस तेजी से नहीं चल रही है जिस तेजी से उसे चलना चाहिये था। प्रतिक्रियावादी तत्वों का एक प्रोग्राम बनाया है, उन लोगों ने वास्तव में उन्होंने किसानों की तबाही का बीड़ा उठाया और जो भी कानून सरकार

उनके खिलाफ बनाती है उन सारे कानूनों को वे बेकार बनाने की कोशिश करते रहे हैं, चाहे वे कानून प्रिवेन्टीव डिटेन्शन के हों, चाहे इजेक्टमेन्ट एक्ट को रोकने वाला हो, चाहे रेवेन्यु में सुधार का कोई कानून हो, चाहे वह समेरी सेटलमेन्ट की ही बात हो, उनकी खिलाफत करते हैं और उन्हें बेकार बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे कांग्रेस के साथी जो कांग्रेस के कार्यक्रम से असंतुष्ट हैं, कांग्रेस से फटे (अलग हुए) हैं। उनकी शिकायत है कि जिन लोगों ने नागरिकों को सभ्य नागरिक नहीं रहने दिया है उनके खिलाफ हमारी सरकार तेजी से नहीं चल रही है। इस सम्बन्ध में मैं एक सरकारी सदस्य होने के नाते यह कहना चाहता हू कि हमारे यहां पर इस प्रकार के झगड़े नहीं होने चाहिये। हम तो यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में सब यही कहें कि राजस्थान बहुत तरक्की कर चुका है। आज राजस्थान में सर्विसेज के बारे में यह कह कर कि उनके साथ अन्याय हो रहा है दूसरी तरह की भावना पैदा करना चाहते हैं।

आज जो कानून हम इजेक्टमेंट के बारे में बनाते हैं उसको सही रूप में अमल में लाने के लिए दिक्कतें पेश होती हैं क्योंकि कानून का ढांचा ऐसा ही है। बेदखल किसान का तो Summary hearing के जरिये थोड़े से समय में फैसला कर देना चाहिये पर वह बहुत बड़े दबाव के कारण उस कानून को अमल नहीं कर पाते हैं। इससे किसान परेशान हुए फिरते हैं। वह कहते हैं कानून आपका है, राज्य आपका है फिर हमें कब्जा क्यों नहीं मिल पाता है। इस तरह साधारण किसान कांग्रेस जनों के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे राहत के कानून को जल्दी से जल्दी मन्जूर कराया जाय। हिन्दुस्तान में जमींदारी Abolition का जब निश्चय हुआ तो बड़ी खलबली मची और इसके लिए Constitution बदलना पड़ा। आज यही स्थिति जागीरदारी Abolition की है।

जागीरदारी Abolition के कारण यह अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जारहा है। इससे जनता के ध्यान को दूसरी ओर खींचा जा रहा है। हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी और विधान में परिवर्तन करना होगा और परिवर्तन नहीं हुआ तो हमें दूसरी क्रान्ति की तैयारी करनी होगी।

पिछले अधिवेशन में हम बहुत खुश थे क्योंकि इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किये गये; वे इतने थोड़े समय में हुए कि हिन्दुस्तान की किसी भी असम्बेली ने इस प्रकार पास नहीं किये। हमने इजेक्टमेन्ट को रोकने का कानून पास किया है। इसकी आवश्यकता मैं अलवर के किसान के साथ पेश करता हूं। अलवर के इतिहास को देखें तो उससे साफ तौर से जाहिर होगा कि वहां पर सबसे पहले १८६१ में सेटलमेन्ट हो गया था। इसलिये जयपुर, जौधपुर उदयपुर के मित्रों से कहता रहता हूं कि आप लोग अलवर से बहुत पीछे हैं। लेकिन यह बन्दोबस्त खालसे का हुआ जागीरी इलाके का नहीं।

हम चाहते हैं कि हमारे यहां जल्दी से जल्दी सेटलमेन्ट लाकर खालसे के किसानों के बराबर हम जागीर के किसानों को लायें। इस तरह Summary सेटलमेन्ट के बारे में प्रस्ताव रखा जारहा है। Reck Rates और इजेक्टमेंट को रोकने के लिए दो कानून पिछले अधिवेशन में लाये। हमारे यादवजी जो किसानों के नाम से आये हैं कौनसा हित देखना चाहते हैं जब कि वे ऐसे कानूनों का विरोध करते है।

श्री गोपीलाल यादवः—मैंने, खड़ी फसल बदली गई है, उसके बारे में कहा है। मैं १/६ को १/३६ करना चाहता हूं। मैं सारी जागीरों को सम्पट पाट करना चाहता हूं।

श्री भोलानाथः—उपर्युक्त कानूनों को पास करने में जल्दी में कदम उठाया तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिये थी। बल्कि ऐसी स्थिति में आपको जल्दी से जल्दी कानून पास करने की आवाज उठानी चाहिए थी न कि Walk out करके रास्ता लेना चाहिए था।

मैं समझता था कि अब अपना दूसरा अधिवेशन होगा और उसमें हम ऐसे क्रान्तिकारी कानून बनायेंगे जिनसे हमारे राजस्थान का सिर ऊंचा होगा और हम कह सकेंगे कि राजस्थान में जन-तन्त्र का कानून आया है। पर छोटी मोटी बातों में पड़ कर तमाशा देखने की प्रवृत्ति की गई। मेरे जो मित्र गये है उन सब के लिए कह सकता हूं कि उनके दिलों में दर्द है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके जाने पर खुशियें न मनायें। उनको बाद में इसका नतीजा मालूम होगा और उनको फिर दर्द होगा। आज बात यह है कि दूसरे दल में Treasury Benches से शक है कि हम क्या ऐसा कदम आपके सहयोग से उठा सकते हैं जो कि जनता हमसे उम्मीद करती है।

पिछले अधिवेशन के समय मैंने हर सदस्यों के सामने चाहे वह किसी पक्ष का हो बुला कर लोक निर्माण की योजना रखी थी और आपके सुझावों को स्वीकार किया था। और जिस किसी सदस्य ने कहा कि हमारे इलाके में दौरा करना चाहिये उसको स्वीकार करने में मैंने इन्कार नहीं किया। मैं तो आज भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की जो बातें आपके सामने आती हैं उन्हें सही मायनों में समझें। आप हम से मिलिये और अपने सुझाव रखिये, सरकार उनको मंजूर करेगी। यह खुला सदन है; इसमें भी सुझाव रखिये, वे माने जायेंगे और उन पर अमल किया जायगा। निराश होने के लिए कोई गुंजायश नहीं; मैं समझता हूं। आप बिल्कुल निराश नहीं होइये। आज राजस्थान की ओर सारा हिन्दुस्तान देखता है।

श्री जसवन्तसिंहः—माननीय अध्यक्ष, हम में से एक सदस्य पर पर्सनल आक्षेप किये गये हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे निवदन करूं कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष:-मैं यह सोच ही रहा था कि एक सदस्य दूसरे सदस्य से कहे और वे फिर मुझसे कहें, यह तरीका ठीक नहीं है। वे direct मुझसे कहें। वे अगर बोलना चाहें तो मैं इजाजत देता हूं।

श्री विजयसिंह:-अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय मंत्री महोदय ने कही थी कि मैं उनके पास गया था, वह बिल्कुल झूठी बात है। मैंने अपने स्टेटमेन्ट में जो बात कही थी वह सच्ची बात है और नौरोज की बात झूठी है। वे मुझे होस्टल से लेकर आये थे। उन्होंने मुझ से होस्टल में ही कहा था। इससे पहले मेरे साथ जो ज्यादती की गई थी और मैं तीन दिन तक यहां से गैर हाजिर रहा था उसका कारण यह था कि उदयपुर के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से मुझ पर दबाव डलवाया गया कि तुम जयपुर मत जाओ। मुझे बहुत कठिनाई उठा कर आना पड़ा।

(शेम-शेम)

अभी मेरे पास समय कम है इसलिये पूरी बातें तो मैं फिर कभी कहूंगा। मिनिस्टर साहब ने जो बातें कहीं हैं वे झूठी हैं। उदयपुर में मेरे साथ जो बातें हुईं उनका असर यहां जयपुर में भी मौजूद है। मुझे यह कहा जारहा है कि उदयपुर के सुपरिन्टेन्डेन्ट मुझ से रिवेन्ज लेंगे। इस तरह से मुझ पर ज्यादती की जारही है और इस बात के लिये मजबूर किया जारहा है कि मैं अपनी पार्टी को छोड़ कर कांग्रेस में मिल जाऊं। इसके लिये मुझ पर चारों तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी की नीति गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिये। इस तरह से पोलिटिक्स में कदम बढ़ाना अच्छा नहीं है।

मिनिस्टर साहब ने कहा कि अकाल के समय यदि कांग्रेस सरकार नहीं होती तो लाखों मनुष्य भूखों मर जाते; पर दरअसल में ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जो जो ज्यादतियें की हैं उनका बयान नहीं करना ही अच्छा है। आमेट में दस दस साल जिनको मरे हुए हो गये उनके नाम के भी परमिट काटे गये हैं।

(शेम-शेम)

इसको मैं प्रूव करने के लिये तैयार हूं। उदयपुर में जो मेरे साथ व्यवहार किया गया वह मानवोचित नहीं है। जेल में भी मुझ पर यही दबाव डाला जारहा था कि तुम अस्तीफा देदो; पर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और आज यहां मौजूद हूं।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री मथुरादास माथुर:-माननीय उपाध्यक्ष, विरोधी दल के उपनेता ने सदन के सामने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव

पर सदन के इस ओर तथा उस ओर बैठनेवाले कई सदस्यों ने प्रकाश डाला है । मेरी यह इच्छा थी कि इस प्रस्ताव पर, क्योंकि यह सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के बीच की ताकत की आजमाइश का प्रश्न है, कुछ अधिक कहूं किन्तु ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा; परन्तु क्योंकि इस पर चर्चा हुई है और सदन के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने भी कुछ ऐसी बातें कही है; इसलिये मेरे लिये उनका जवाब देना आवश्यक हो जाता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले में आपका ध्यान उन वजूहातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिनके कारण यह प्रस्ताव रखा गया है । यदि वे वजूहात सही माने जायं, जिनको लेकर प्रस्ताव रखा गया है, तो मेरे ख्याल से विरोधी दल के नेता जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा यह बतलाने का प्रयत्न करते कि क्योंकि जनता की भलाई इस दल की सरकार से नहीं हो सकती और क्यों कि हमको राजस्थान की आम जनता के आर्थिक, सामाजिक व शासनस्तर को ऊंचा उठाना है जिसके लिये यह सरकार नाकामयाब रही, इसलिये हमें इसे रखने के लिये मजबूर होना पड़ा तथा हम विरोधी दल के लोगों ने जो सुझाव सरकार के सामने रखे उन पर अमल नहीं किया गया इसलिये हमें इसके लिए मजबूर होना पड़ा। बड़ी बातों को लेकर यह प्रस्ताव रखा गया है । मैं यह नहीं मानता और न उन्होंने बतलाने की कोशिश की है कि जनता की भलाई किस में है । लेकिन यह साफ जाहिर है कि यह प्रस्ताव इसलिये नहीं रखा गया है कि इससे जनता की भलाई किसानों की बहतरी हो, अमन-चैन और बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल हो, ऐसी बात नहीं है। मैं विरोधी दल के बहुत से सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी ताकत काफी दिनों तक बनी रही जिसके आधार पर आप काफी दिनों तक शासन करते रहे और सामन्त दल में जो बड़े बड़े जागीरदार हैं उन्होंने ३००-४०० वर्ष तक जनता पर शासन किया है तो कि आपके समय में आपकी हकूमत गुजरने से पहले राजस्थान की क्या हालत थी? आज की हालत से अच्छी थी या खराब? जिस समय छठे बांट का बिल रखा गया था या अन्य बिल किसानों की बहतरी के लिये रखे गये थे उस समय क्या आपने उनके साथ सहानुभूती दिखलाई थी ?

एक माननीय सदस्य:–अवश्य ।

श्री मथुरादास माथुर:–मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो वाक आउट करके चले गये थे । क्या आपने जागीर-उन्मूलन का स्वागत किया था। आप कहते हैं कि हम किसानों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता जानती है कि राष्ट्रवादी क्या चाहते हैं और सामन्त क्या चाहते हैं । सामन्त दल यह चाहता है कि जागीरें बनी रहें और जागीर-उन्मूलन कानून अमल में नहीं लाया जाय, किसानों का शोषण करते रहें और

पूर्ववत् लगान मिलता रहे। यही भाव लेकर आज विरोधी दल हकूमत को पलटना चाहते हैं। उनकी भावना यही है। हमारे यहां के और भी २-४ साथी उनके साथ मिलकर उनकी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप के दल के लोग यह एलान करते कि हम हाई कोर्ट में जाकर, कानून का सहारा न लेते हुए, जागीरउन्मूलन कानून का अमल कराना चाहते हैं और हम जागीरों को सरेन्डर करने को तैयार हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। पर यह तो सुगर पिल्स दी जारही हैं। इन शक्कर की गोलियों के नीचे जहर छिपा हुआ है, इसको न भूलिये।

मैं उन साथियों से कह देना चाहता हूं जो असन्तुष्ट थे और जो उधर जाकर बैठना चाहते हैं। मुझे उनसे यह कहना है कि यदि यहां (इधर) असंतोष है तो उन्हें वहां (उधर) भी संतोष नहीं मिलने वाला है। यह वही चीज है कि किसी तरह से हुकूमत हाथ में आजाय और उसके बाद जागीरदारीउन्मूलन कानून को अमल में न लाया जाय अथवा उसमें कोई तरमीम हो। कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि पांच हजार से अधिक की जागीरों को खत्म किया जावेगा। मुआवजा दस गुना दिया जा रहा है, राजस्थान में, जब कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त की कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं कर रही है। आपने हमारी सदभावना को उल्टा समझा है और जो वातावरण फैलाने की कोशिश की है उसका अन्जाम यह होगा कि राजस्थान में अशान्ति पैदा होगी, लॉ लेसनेस पैदा होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने काफी कोशिश की है, काफी डाकुओं को पकड़ा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन के एक सदस्य, डाकुओं से मिलने की वजह से या उनके साथ साठ गांठ होने की वजह से, उनके यहां हथियार भी मिले हैं, उनपर मुद्दकमा चलाया गया............

श्री गोपीलाल यादवः--On a point of Order, Sir. The matter is sub-judice. It is not open to him to attack him at this time.

श्री मथुरादास माथुरः--I admit that this is true. But I am narrating only a political story and not........

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--But you cannot state it as a fact that he was guilty of associating himself with dacoits.

श्री मथुरादास माथुरः--It is simply an allegation and not....

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--There are worse allegations against you.

श्री मथुरादास माथुरः--May be. I don't care.

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--I know, you don't care!

श्री मथुरादास माथुरः—जब सच्ची बात सदन के समक्ष कही जाती है तो चारों तरफ से बुरा मालूम होता है। मैं यह दोहराना चाहता हूं कि जिन सदस्य को खड़ा किया गया है न तो, जो उधर बैठे हुए हैं यह सोचते हैं कि हम किस आदमी के जरिये यह एलान करवा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर कोई गौर नहीं किया। सदन में इधर जो बैठने वाले हैं उन्हें तो किडनेप करके नहीं लेजाया जा रहा है। चार फुट से ज्यादा लम्बाई वाला आदमी जिनकी उम्र ४२ साल हो उनको भगाया, ले जा रहा है (हंसी—ट्रेजरी बेंचेज की ओर से) एक आदमी के साथ नीरो होटल में लेजाया गया है। रास्ता खुला हुआ है, आम लोग रहते हैं। यह एक सोचने की बात है। अब मैं इस ओर नहीं जाना चाहता हूं। मैंने इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट भेजने के लिए अखबारों को देदिया है और वह छपने वाला है। कोई दल यह इल्जाम लगाने का प्रयत्न करते हैं कि जो टेक्सेशन है उसका दुरुपयोग किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि न तो इस तरह से हुकूमत बनती है और न इस प्रकार चलती ही है। यदि हकूमत बन भी जाती है तो वह मिट भी जाती है। किसी दल को बदनाम करके यदि यह किया जावेगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं सब साथियों से कहना चाहता हूं कि उस तरफ बैठने वाले साथी अपने आपको प्रगतिशील कहने लगे हैं, जनता के नाम पर भलाई की बातें कहने लगे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता की भलाई केवल प्रगतिशीलता के कहने में हो होती तो राजस्थान बड़ा भारी प्रगतिशील होजाता (हंसी ट्रेजरी बेंचेज की ओर से) राजस्थान की जनता गरीब है, भूखी है, किसानों की पीठ टूटी हुई है, औरतों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, मजदूर पिसे हुए हैं, पर इनका जिम्मेदार कौन है। इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले? यह इतिहास में लिखी हुई चीज है। एक दो वोट से इसका फैसला नहीं हो सकता। यह इतिहास में लिखा हुआ है और लिखा रहेगा। जो प्रगतिशील हैं वे इधर बैठें और मैं अपने उन साथियों से भी अर्ज करना चाहता हूं कि वे अब भी समझें और सोचें। अगर उनकी सम्मति का एक वोट उधर बढ़ता है तो वे कामयाब होते हैं और वह पनपेगा, यदि इधर पड़ेगा तो वह गिरेगा। उधर बैठने वाले साथी हकूमत बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तुमको डिप्टी मिनिस्टर बना दिया जायगा और तुमको मिनिस्टर। मैं यह कह देना चाहता हूं कि ओट में शिकार की जा रही है मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह सब कुछ किया जा रहा है इसलिए कि उनकी जागीरें कायम रहें, उनका वही दबदबा रहे, उनका वही ऐश और आराम रहे, उनके वही गाजे-बाजे, लाटे—बांटे कायम रहें। इसलिये इस तरफ बटने वाले साथी, ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता, जो जनता का वोट लेकर आये हैं, मुझे आशा ही नहीं वरन् विश्वास है कि वे यह कहेंगे कि सामन्ती शासन को शीघ्र से शीघ्र खतम किया जाना चाहिये और नो कोन्फीडेन्स जैसे प्रस्ताव को कब्र में डालना चाहिये।

(ट्रेजरी बेन्चेज़ की ओर से करतल ध्वनि)

श्री सम्पतराम:--उपाध्यक्ष महोदय,

श्री जसवन्तसिंह:--ओन ए पॉइन्ट ओफ ओर्डर सर। जब यह बहस शुरू हुई तो अध्यक्ष महोदय ने यह पूछा था कि किस किस पार्टी से कितने कितने सदस्य बोलेंगे। इधर संयुक्त दल की ओर से दो सदस्यों के बोलने की अ की थी। उधर से मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि कांग्रेस के दो सदस्य बोलेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी खास कारण से यह इजाजत कांग्रेस की तरफ से ज्यादा बोलने वालों को दी जा रही है?

श्री टीकाराम पालीवाल:--जिस समय यह कहा गया था कि दो सदस्य उधर से बोलेंगे तब मैंने कहा था कि दो सदस्य इधर से भी बोलेंगे। मैं यह समझता रहा हूं कि उधर से नेता का प्रतिपादन होगा। अतः इधर से अलग नहीं किया गया। मुझे कोई एतराज नहीं होगा यदि उधर से भी कोई सदस्य बोलें। यह तो "चेयर" के अधिकार की बात है कि वे जितना महसूस करते हैं उतना ही समय दें।

श्री जसवन्तसिंह:--उपाध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह फरमाया है कि जो सदस्य बोलना चाहें वे बोलें, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब समय ही इस प्रकार नहीं निर्धारित किया गया था तो फिर क्यों इस प्रकार इजाजत दी जाती है। क्या इसमें कोई खास कारण है?

श्री गोपीलाल यादव:--मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कितनी भी इजाजत दीजिए किन्तु जो १॥ घंटे का समय निर्धारित किया गया है वह उसी में पूरा होना चाहिए। अभी २० मिनिट मोदीजी को रिप्लाई देने में देने होंगे। अत: इस हिसाब से १२-१० बजे तक कोई भी बोल सकता है। अभी लीडर ओफ दी हाउस को बोलना शेष है और उनके लिए एक घंटा रखा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह समय भी उस समय में से ही है अथवा नहीं? हम लोगों को भी बहुत बोलना था किन्तु समय के निर्धारित कर देने से हमें बहुत सी बातें छोड़ देनी पड़ी और भाषण को संकुचित कर देना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष:--(श्री संपतराम को संबोधित करते हुए) आप पांच मिनिट के लिए बोलियेगा।

श्री जसवन्तसिंह:--मैं जानना चाहता हूं कि क्या १२-१० बजे बहस समाप्त होजायगी?

श्री उपाध्यक्ष:--इनको ५ मिनिट के लिए बोलने की इजाजत दी गई है।

श्री टीकाराम पालीवाल:--बहस ने एक दूसरा रूप ले लिया है। बहुत से एलिगेशन्स (allegations) लगाये गये हैं। यदि बहस आगे चालू भी रहे तो कोई बेजा नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसे खत्म नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष:--मैंने उन्हें पांच मिनिट का समय दे दिया है, वे (श्री सम्पतराम) बोलेंगे।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--मैं आपसे यह सूचना प्राप्त करना चाहता हूं कि जो समय की योजना अध्यक्ष महोदय ने की थी.....

श्री उपाध्यक्ष:--आप इसी में देर कर रहे हैं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--क्या जो समय की अवधि अध्यक्ष महोदय ने, आपके पूर्व, निश्चित की उसमें कोई रद्दोबदल होने वाला है? इस ओर से बोलने वालों पर कड़ी पाबन्दी लगाई गई थी और बहुत सारी बातें कहने को जो थीं वे नहीं कही जा सकीं और केवल उन्हीं बातों पर प्रकाश डाला गया कि जिनके आधार पर वर्तमान सरकार पर असंतोष है। जो बातें नहीं कही गई हैं उनको बहस में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाउस के नेता ने कहा कि कुछ विशेष बातें हमारी ओर से कही गई हैं जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वे हाउस के नेता होने के नाते, राज्य के सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते, अपने भाषण में सब आवश्यक बातें कह सकते हैं, किन्तु जानबूझ कर समय लिया जा रहा है। एक ओर तो हमारे भाषण संकुचित किये जायं और दूसरी ओर उनको (राज्य पक्ष को) मौका दिया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि १।। घंटा जो राज्य पक्ष को दिया गया है क्या उसमें अभी और कोई परिवर्तन किया जावेगा? यदि परिवर्तन होता है तो मेरा यह निवेदन है कि यह कहा जाय कि अब अवकाश नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल:--मैंने यह कहा था कि कुछ विशेष बातें कही गई हैं। अतः उस सम्बन्ध में बोलना जरूरी है; ताकि उनका स्पष्टीकरण किया जा सके। यदि उधर से भी कोई बोलें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--आप स्वयं ही सोच सकते हैं कि समय की संकुचितता और अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसार इधर से बहुत सी बातों पर प्रकाश डालते समय उन्हें संकुचित कर देना पड़ा और छोड़ देना पड़ा। अब जब आप यह कहते हैं कि दूसरे भी बोल सकते हैं तो यह जस्टिस और फेयर प्ले नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष:--यह समय इसीमें एडजस्ट कर लिया जावेगा।

श्री संपतराम:--उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह राजस्थान के राजनैतिक इतिहास में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के राजनैतिक इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण तथा अभूतपूर्व घटना मानी जायगी। आम तौर पर इस सदन के प्रत्येक सदस्य को यह मानने से इन्कार नहीं करना चाहिये कि दुनियां में जितने भी स्वतंत्र मुल्क हैं और जिनमें इस तरह की प्रजातांत्रिक शासन प्रणालियां चल रही हैं, उनके इतिहास में भी इस तरह की घटनायें एक से अधिक बार घटित हो चुकी हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है। लेकिन जब कभी भी इन राज्यों तथा मुल्कों में अविश्वास

का प्रस्ताव रक्खा गया है, वह इसलिये नहीं कि केवल सत्ता ही प्राप्त की जाये; बल्कि इसलिये कि जनता का हित हो और नई प्रगतिशील सरकार का निर्माण हो। जो मौजूदा सरकार है वह प्रगतिशील कदम उठाना चाहती है, जनता को राहत पहुंचाना चाहती है और समाज के इधर उधर बिखरे हुए उपेक्षित टुकड़ों का निर्माण करना चाहती है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके जरिये इस सदन से निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर हम सब का मत जनहित की दृष्टि से हो और यह अत्युक्ति नहीं होगी कि यह राजस्थान में नयी बात की जा रही है। मुझे खुशी होती अगर मेरे साथी सहयोग देते; इस प्रकार के कानूनों के निर्माण करने में, जिससे जनता को ज्यादा कल्याणकारी कानून मिल जाते; नये नये कानूनों का निर्माण करके जनता को ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करते। परन्तु अफशोस की बात है कि जो कुछ रूठे हुए हमारे चन्द साथी विरोधी पक्ष में गये हैं उनमें से कतिपय साथियों की मान्यता है कि वे एक उद्देश्यपूर्ति के हेतु उधर गये हैं; यह उनका गलत विश्वास है। जो साथी आज तक हमारे दल में रहे हैं जिनकी भावनायें हमारे ही समान है उनके लक्ष्य में इतनी जल्दी नई प्रवृति पैदा होगई हो यह कभी भी मानने लायक बात नहीं हो सकती है। आज हमारे विरोधी पक्ष के साथी यह स्वप्न देखें रहे हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार हो जायगी; हम इस चेलेन्ज को स्वीकार करते हैं।

आज जो बातें कही जा रही हैं अगर यही बातें जनता के हित से सम्बन्ध रखने वाली होतीं तो ज्यादा खुशी होती। कतिपय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि समूचे राज्य की कांग्रेस ठेकेदार बनना चाहती है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह कदापि विधान के अन्तर्गत हो नहीं सकता। यदि कांग्रेस ही ठेकेदार बनना चाहती तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं कहते कि हिन्दुस्तान में चुनाव हों। हम सदन को बताना चाहते हैं कि इन बातों में कोई वैधानिक तथ्य नहीं, कांग्रेस ठेकेदार नहीं। कांग्रेस मानती है कि यह सरकार किसान, मजदूर, पूंजीपति आदि सभी वर्गों के लोगों की हो सकती है; बशर्ते कि उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त हो। चन्द साथी, हो सकता है, नाराज होकर यह कह सकते हैं कि राजस्थान की जनता यह चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता बनी रहे, हम ही जनता के विश्वासपात्र हैं।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

पिछले चुनावों में सब बातें हुई है जो साथी यहां आये हैं वे किसी न किसी सिद्धान्त की कसौटी पर कसे जाकर आये हैं। वे कांग्रेस की कसौटी पर, कांग्रेस के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके जनता से वोट हासिल करके यहां आये हैं। जनता आज उनसे यह जवाब तलब करेगी । यह दुर्भाग्य की बात होगी, उन सदस्यों के लिए जिन्होंने कांग्रेस के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके जनता से वोट हासिल किये; यदि वे आज इस अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे। यह उन सिद्धान्तों की हत्या और राजनैतिक भूल होगी। यह उनके लिये दुर्भाग्य की बात होगी; इस देश के नागरिक की हैसियत से, सदन के सदस्य के नाते, भारत के स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से। आज भले ही वै सत्ता

प्राप्ति के स्वप्न देख रहे हों लेकिन वह सत्ता जनता के विश्वास के बलपर ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिये मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वह उनको सदबुद्धि दे, विचार करने की शक्ति प्रदान करे और यह सोचने की शक्ति दे कि जो कुछ वे कर रहे हैं वे जनहित को सामने रख कर रहे हैं या जनता के विश्वास का बलिदान करने के लिए। आज इस अविश्वास के प्रस्ताव पर उन लाखों करोड़ों इन्सानों की आंखें लगी हुई हैं जो लोग जागीरी इलाकों में जागीरदारों के अत्याचारों से कराह रहे हैं। आज हम जिस जनता का प्रतिनिधित्व करने इस सदन में उपस्थित हुए हैं हम अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करके, जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से, ईमानदारी के साथ इस अविश्वास के प्रस्ताव पर अपनी राय दें। आप सोचें कि यह आपका कार्य राजस्थान प्रान्त को प्रगति की ओर बढाने वाला है या अवनति की ओर लेजाने वाला है। आज हमें इस नये प्रान्त का निर्माण करना है; इसलिये हमें कोई भी कदम बहुत सोच-विचार के बाद उठाना चाहिये। में इन शब्दों के साथ अपने साथियों से अपील करूंगा कि वे इन बातों पर विचार करते हुए इस मोशन पर अपना फैसला दें।

श्री जसवन्तसिंह:—हमें जो डेढ़ घंटे का समय दिया गया, हमारे साथियों ने उस निर्धारित समय में अपने भाषण को समाप्त कर दिया था। अभी तक सरकार को जवाब देना है, उसके बाद प्रस्तावक जवाब देंगे, बाद, में वोटिंग भी प्रस्ताव पर किया जाना है। इसलिये मैं क्लोजर मूव करता हूं कि इस पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—जैसा कि हमारे पक्ष के नेता ने आपसे कहा कि समय निर्धारित कर दिया गया था। आपका निर्देश था कि डेढ घंटा यह पक्ष लेगा और डेढ घंटा वह पक्ष लेगा। उस समय में सब बहस मुबाहसा भी शामिल रखा गया था। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के बावजूद, उसके मुताबिक काम नहीं किया गया है। हमारी ओर से कई स्पीचें, समय के अभाव से संकुचित करदी गई थीं और हमने अपने निर्धारित समय में ही अपना कार्य खत्म कर दिया था।

अगर आप मुझ से पूछना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन समय के संकुचित होने से मैं अर्ज नहीं कर सका। दोनों पार्टियों को जो आदेश दिया गया उसका पालन होना चाहिये। इसमें दूसरी बातें पैदा नहीं करनी चाहिये।

श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बारबार उठाया जा रहा है। आप जब यहां नहीं थे तब भी यही प्रश्न था। बहस के दौरान में कुछ ऐसी चीजें कही गई हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक हो गया ह। सलिये समय की कमी के कारण जो सदस्य नहीं बोल पाये हैं वे अब बोल सकते हैं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—अध्यक्ष महोदय, मुझे बडा दुःख है। जैसा कि मैं पहले हूँ निवेदन कर चुका हूं कि आपके आदेशानुसार और समय के संकुचित होने

के कारण हम बोल नहीं पाये। माननीय मुख्य मंत्री यह फरमाते हैं कि अगर इधर से को साथी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। क्या हमारे उन साथियों को वापिस बोलने का मौका होगा? न्याय की दृष्टि से हाउस का काम होना चाहिये। और अध्यक्ष महोदय के आदेश का पालन होना चाहिये। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव पर कोई नयी बात नहीं रखी गई, मैं तो हमेशा से यही बातें कहता आया हूं। कोई ऐसा तथ्य नहीं रखा गया जिस पर दूसरे व्यक्तियों को बोल की आवश्यकता हो। इस हाउस के समय को लंबा किया जाने की ही शा हो तो आप इससे क्या जनहित की साधना चाहते हैं। जो प्रोग्राम निश्चित कर दिया गया था उसके अनुसार कार्य होना चाहिये, यही न्याय का तकाजा है।

श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि कोई नई बात नहीं कही गई है, गलत है। अभी इस हाउस के सामने व्यक्तिगत आरोप किये गये, स्टेटमेन्ट रखे गये। स्टेटमेन्ट में नई चीजें थी जो अब तक नहीं आई थीं इसलिए कई व्यक्तियों के बोलने की जरूरत थी। मेरे साथी रेवेन्यु मिनिस्टर नहीं बोलने वाले थे उनको भी बोलना पड़ा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—अब जो सज्जन बोलने वाले हैं उनके लिए कोई आक्षेप नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल:—मैं आपकी एक बात को स्वीकार करना चाहता हूं कि अब जो स्पीचें हों वह ८, ८ मिनिट तक ही सीमित की जायं। लेकिन कई बातें हैं जो अविश्वास से सम्बन्ध नहीं रखती हैं, लेकिन चूंकि वह मंत्रियों के व्यक्तित्व के बारे में कही गई हैं, उसके कारण अपना स्पष्टीकरण करने का मौका उन्हें दिया जाना तो चाहिए; नहीं तो सिर्फ विरोधी पक्ष की बातें ही हाउस के सामने रहेंगी और सरकारी पक्ष की बातें सामने नहीं आ सकेंगी। यह बात ठीक है कि हम ८ मिनिट से ज्यादा अपनी पार्टी के लोगों को नहीं बोलने देंगे। इस बात की गारन्टी मैं आपको देना चाहता हूं।

श्री जसवन्तसिंह:—मेरे प्रस्ताव पर निर्णय की आवश्यकता है। मैं क्लोजर मोशन मूव कर चुका हूं। अगर वे उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि वे ऐसा कह दें। हम उनको मदद देंगे जैसी कि राजप्रमुख के बहस के समय हमने मदद दी थी। लेकिन चालाकी करके, हम साफ बात नहीं कह कर, इस तरह से बहस को आगे बढ़ाने से हमें काफी एतराज है। मेरे क्लोजर मोशन पर निर्णय होना आवश्यक है।

श्री भोलानाथ:—अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख के अभिभाषण पर बहस के लिए विरोधी दल को ४ घन्टे दिये गये थे और ट्रेजरी बेन्चेज को डेढ़ घंटा ही मिला था।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पुरानी बातों को लेकर इस बहस को और ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए। राजप्रमुख की

बहस के सिलसिले में आपको याद होगा कि पहले रोज आप सज्जन बिल्कुल ही बोलने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से हमें अधिक टाइम मिला। आज की बहस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। समय का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। हम चाहते हैं कि उसकी पाबन्दी की जाय।

श्री मथुरादास माथुरः—अध्यक्ष महोदय, यह सदन के हरेक सदस्य का अधिकार है,? इस बात पर, जो कि एक अहम मसला सदन के सम्मुख पेश हुआ है अपने विचार रखें। आगे जो बोलने वाले हैं उनके लिए, अध्यक्ष महोदय, आप समय नियत कर सकते हैं, जैसा कि आपने किया है। इसलिए में विरोधी दल के नेता ने जो क्लोजर मोशन रखा है उसका विरोध करता हूं और यह आशा रखता हूं कि विरोधी दल के नेता अपने मोशन को वापिस ले लेंगे ताकि सदन के हरएक सदस्य को, चाहे वह इस ओर हो या उस ओर, बोलने का मौका मिल सके और अपने ख्यालातों का इजहार कर सकें।

श्री किशनलाल शाहः—अध्यक्ष महोदय, मुझे जब यह सुनने को मिला कि किसानों के हक के लिए बनाया जाने वाला रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट जल्दबाजी में पास कर दिया गया············

श्री अध्यक्षः—आप, यहां जो प्रश्न किया गया है, उसके ऊपर बोलना चाहते हैं?

श्री किशनलाल शाहः—जी हां। जिस प्रश्न पर आपका निर्णय चाहा गया है उस पर मेरी आपत्ति है। जब हम इस मोशन के मामले पर बोलते हैं तो राजस्थान के पुराने इतिहास को, जिसका कि अक्षर–अक्षर बोल रहा है, स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद, जब से कांग्रेस ने शासन की, हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ली है उसके इतिहास को, सामने रखते हैं और उसका लेखा जोखा लेते हैं। उस लेखे जोखे को जनता के सामने रखते हैं। इस मोशन के द्वारा जनता के भाग्य का निर्णय कराया जा रहा है। हमारे राजस्थान का ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के रहने वालों के भाग्य का फैसला कराया जा रहा है, उसको समय की दुहाई देकर और अन्याय और जुल्म होने की बात कही जाती है। जो यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम फैसले को तैयार नहीं। मैं उन्हें चुनौती देकर यह पूछना चाहता हूं कि सरकार के विरुद्ध जितने आरोप आपके सामने लगाये जा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह थ्रू आउट (throughout) गलत साबित किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए हर शख्स को पूरा पूरा समय मिले। (करतल ध्वनि) सरकार को इस तरह से············

माननिय अध्यक्षः--ऑर्डर, ऑर्डर

श्री जसवंतसिंह:–अध्यक्षजी, हमें बड़ा दुःख है कि जिस प्रकार से आज की कार्यवाही चल रही है और जो कि मेरे मित्र माननीय मुख्य मंत्रीजी बराबर इस बात को कह रहे हैं तो इस हाउस का कन्टेन्शन यह होना चाहिए, और जब कि मैंने क्लोजर मोशन मूव कर दिया है और क्लोजर मोशन का निर्णय नहीं हुआ है, तो यह स्पीच एक ही मायने रखती है, कि आज की कार्यवाही को आगे चलाने की कोशिश की जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल:–I think the closure motion has been opposed.

श्री अध्यक्ष—I think some discretion is left with me.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–A closure motion can be moved any time. It is the right of the Members and at least the opposition will think it fair to give an opportunity to the Leader of the House to give his reply; because this is a very important motion and on this point we will now call upon the Leader of the House to make his reply.

श्री अध्यक्ष:–Would it be possible ?

एक सदस्य:–क्लोजर मोशन को खतम करने से पहले राय ली जानी चाहिए।

श्री गोपीलाल यादव:–अध्यक्ष मोहदय ने क्लोजर मोशन को अपने डिस्क्रीशन से खतम कर दिया है और हमने उसे स्वीकार कर लिया है।

श्री जयनारायण व्यास:–अध्यक्ष महोदय, क्या क्लोजर मोशन खतम कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है?

श्री अध्यक्ष–क्लोजर की मन्शा है कि "The debate should be closed but the Leader of the House will give reply". But still decision has not been arrived at on the closure motion.

Shri Inder Nath Modi:—From what has been mentioned by the Hon'ble Leader of the House it seems he is prepared for the speech and therefore we shall welcome if he starts it immediately.

श्री जयनारायण व्यास:–अध्यक्ष मोहदय, यदि इस समय लीडर ऑफ दी हाउस को बोलने का अवसर दे दिया जाता है तो मान लिया जाता है कि दूसरे लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा। तो क्या दूसरे लोगों को बोलने का अवसर समाप्त कर दिया गया है? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष:–It does not curtail the right of reasonable debate and he can not move closure at this stage.

श्री टीकाराम पालीवाल:–I want to know whether, because this is a very important motion and some members want to have a debate, the time which has been prescribed by you could be extended.

(Noise)

Mr. Speaker:—This sort of noise is not warranted.

श्री जसवंतसिंह:–माननीय अध्यक्ष मेरा यह निवेदन है............

Shri Jai Narayan Vyas:—On a point of privilege, Sir. It is the privilege of a Member to request the chair to clarify certain points; whether after the speech of the Hon'ble Leader of the House any other Members of the same party can make speech. Unless this were so, the House could gather the opinion that speeches of the other Members have been ruled out and that they cannot make speeches. Otherwise, the closure motion should be withdrawn. If the other Members go and make speeches, the Leader of the House will have to curtail his speech. This is the submission that I have to make.

श्री अध्यक्ष:–जो सर्व प्रथम एग्रीमेन्ट किया गया था वह यह था कि समय का विभाजन डेढ़–डेढ़ घन्टे कर दिया जाय और कर दिया गया था। उसके बाद में जब मैं रिटायर हुआ तब एनक्रोचमेन्ट हो गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि लीडर आँफ दी हाउस के अलावा और भी उनकी पार्टी में से कोई बोलना चाहेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल:–हमारी पार्टी के कुछ लोगों के बोलने की इच्छा है और मैं चाहता हूं कि उनको बोलने का अवसर दिया जावे, तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष:–अभी आप शुरू करना चाहेंगे या नहीं और कब तक समाप्त कर देंगे?

एक सदस्य:–आप इसको शुरू करके कितने समय में समाप्त कर देंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल:–मेरा इसको शुरू करने का विचार अवश्य है और खतम करने की इच्छा भी जरूर है मगर समय लगेगा। मैं समझता हूं कि मुझे एक घन्टा लगेगा। आज अभी शुरू तो कर दूंगा मगर ऐसा संभव नहीं मालूम होता कि समाप्त हो सकेगा. अभी समय नहीं रहा है।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, यदि घन्टे इस तरह से बढ़ाना मुनासिब समझते हैं तो मैं यह आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो ८-८ मिनिट की स्पीचेज हमने दी हैं उनको केन्सल समझी जावे और हमें नये सिरे से बोलने के लिये समय दिया जाए।

श्री टीकाराम पालीवाल:—यह तो कैसे हो सकता है।

श्री अध्यक्ष:—जो स्पीचेज दी गई हैं उनको तो केन्सल नहीं समझ सकते।

श्री टीकाराम पालीवाल:—जो लोग बोलना चाहें उनको बोलने का मौका दिया जाए।

Shri H. K. Vyas:—Mr. Speaker Sir. I also wanted to emphasize the point raised by my Hon'ble friend that it would be very unfair, of course, if anybody were asked to curtail his speeches. But it would certainly not be unfair if by an agreed arrangement the speeches were to he curtailed. If you relax this condition under your discretion in the case of one side, I am asking why you should not relax the same condition in the case of the other side also.

एक सदस्य:—यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करना चाहें तो उनको जरूर वक्त दिया जाए, मगर हमें भी वक्त दिया जाए।

श्री अध्यक्ष:—अगर कुछ सदस्य यह समझते हों कि उनके प्रिविलेजेज़ पर कुछ ज्यादा सख्ती हुई थी तो मैं अपने अधिकारों से उनकी स्पीचेज को तो कैंसल नहीं कर सकता, लेकिन उनको दूसरी बार, जो रूल्स के मुताविक नहीं बोल सकते उन्हीं रूल्स को कुछ रिलेक्स कर सकता हूं और दूसरी बार बोलने की आज्ञा दे सकता हूं। लेकिन सदस्य प्लेट फोर्म पर स्पीचेज देते हों उस तरह से यहां पर नहीं बोलें और ऐसा होना भी नहीं चाहिये। अगर सदन के सदस्यों की यह मान्यता हो कि उन्हें थोड़ा समय दिया गया और अब समय दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--Is it your intention, Sir, that the debate should be carried on to another day ?

श्री अध्यक्ष:—Well, this is what the members want.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—That question is now taken up in another form.

श्री भोलानाथः–अभी यह कहा गया कि ट्रेजरी बेंचों वाले टाइम मांगते हैं, लेकिन म यह कहूंगा कि प्रजा-पार्टी व कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समय मांगा है। कहने का मेरा तात्पर्य यह ह कि सारे लोग इस पर बोलने के लिये समय मांगते ह।

श्री एच. के. व्यास–मैंने यह मांग की थी कि अगर समय बढ़ाया जावे तो हमें भी बोलने का समय दिया जाए। आप जिस ढ़ंग से समझ रह ह यह वाजिब नहीं है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी–They had expressed their desire from the angle of the holidays intervening and therefore I submit that this particular question should be viewed from that angle alone. In fact in the fixture of the date, probably this factor was lost sight of. There are three holidays after the 17th and the understanding with which we began today was that the debate would be closed today and a particular allotment of time would be made so that both the parties agreed to it. And now for some reasons the Leader of the House wants that the time fixed by an agreed arrangement should be extended. I submit that in such circumstances no question of relaxation of privileges arises. The no-confidence motion, if it was important, was important from its very inception, when leave was sought for it on the 10th and a week was allowed to intervene before the motion was taken up for discussion. An effort was, however, made to crush the motion from its very beginning, and therefore it is impossible for us to take, Sir, that the no-confidence motion which was not important on the first day when it was brought should assume importance after a week intervened. Of course there may be certain reasons on the part of my friends opposite to depart from the time appointed for the discussion of the motion in the beginning. I feel that we have gone too far and the Leader of the House should now come up for giving his reply. There are three holidays coming up after today and therefore I submit that no decision would come to if we go on with this debate in this manner.

श्री गोपीलाल यादवः–The House may continue to sit till mid-night today.

श्री अध्यक्षः–I want to know how many members want to speak ?

श्री टीकाराम पालीवालः—अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि इस तरफ से बहुत से लोग बोलना चाहते हैं मगर हम मेम्बरों को समझायश करके समय की नियुक्ति कर लेंगे। मेरे अलावा तीन चार सदस्यों से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा।

श्री अध्यक्षः-..........

श्री टीकाराम पालीवालः–८, ८ मिनिट से ज्यादा नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्षः—Four minutes.

श्री गोपीलाल यादवः--अध्यक्ष महोदय, आपने ८, ८ मिनिट किसी के लिये फिक्स नहीं किये थे। आपने आध घन्टा ४ आदमियों के बीच दिया था और उसके अनुसार हमने अपना एलोटमेन्ट किया। ८, ८ मिनिट ५० या ६० मेम्बरों को देना कहां तक वाजिब है और ८, ८ मिनिट की बात गलत तरीके से यहां रखी जा रही है। मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री टीकाराम पालीवालः—कुछ अजीब इम्प्रेशन क्रियेट किया जा रहा है और जान बूझ कर ऐसा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना बिल्कुल गलत है। कुछ बातें विरोधी दल की तरफ से ऐसी कही गई है जिसके लिये लोगों को बोलना पड़ेगा।

एक सदस्यः--मैं ऐसा मानता हूं कि काफी समय इस मसले को लेकर जाया किया गया है।

श्री अध्यक्षः—मैं २० मिनिट का समय इसके लिए देता हूं। जो सदस्य बोलना चाहें—४ सदस्य बोलने वाले हैं; ५–५ मिनट बोलें।

श्री जसवन्तसिंहः—मैं यह जानने के लिये कष्ट दूंगा कि जब २० मिनिट वे सदस्य बोल लेंगे तो क्या निर्णय आज ही हो जायगा या इस बैठक को स्थगित किया जायगा?

श्री टीकाराम पालीवालः—चूंकि हमारा समय इस बात की बहस में खतम कर दिया गया है अतः अब मुझे संभव मालूम नहीं होता कि आज खत्म हो जायगा।

But I will begin my reply today. I can do so just now, if I am called upon.

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—What happens to the allotment, Sir, which you fixed for each party.

श्री अध्यक्ष:—Because a situation has arisen and the time has been so, rather I should say, misused........

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—The situation has been created not arisen.

श्री हरदेव जोशी:——माननीय अध्यक्ष, जो अविश्वास का प्रस्ताव यहां पर विरोधी दल की ओर से रखा गया ह मैं उन मित्रों से पूछना चाहता हूं कि विरोधी दल की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया ह उसके मायने क्या यह हैं कि मौजूदा सरकार जो है, यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या वह हट जायेगी और दूसरी सरकार बनेगी। ऐसी सूरत में यह आशा की जानी चाहिए कि जिन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है वेही खुद अपनी सरकार बनायें। मैं यह महसूस करता हूं कि जहां जहां प्रजातांत्रिक देश हैं, प्रजातांत्रिक प्रणाली चलती है वहां अनुभव किया जाता है कि उनके द्वारा प्रतिपादित शासन को आगे चलायेंगे। मेरे मित्रों ने अविश्वास के प्रस्ताव को रखते हुए जो कुछ कहा है उससे मैं यह नहीं देखता कि वे कोई नई चीज रख कर हमारे प्रान्त को आगे उठाने का काम करेंगे, इस प्रान्त को तरक्की बहबूदी की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे।

हमारे सामने पुराना इतिहास है, जिसके जरिये आज से पहले सैकड़ों वर्षों तक राजस्थान में शासन चलाया गया था। मैं समझता हू वही तरीका फिर चालू हुआ तो राजस्थान का भविष्य क्या होगा? जहां तक इस बात का सवाल ह हमारे पक्ष की ओर से किन्हीं के साथ गलती का व्यवहार किया गया था इसके बारे में काफी कहा जा चुका है। जहां तक मेरे मित्र का सवाल है उन्होंने जो बातें रखी हैं उनके बारे में मैं यही कहूंगा कि मुकद्दमा अदालत में चल रहा ह। मैं कहना चाहता हूं कि किस नाव में मेरे वे मित्र तैर रहे हैं? उन घटनाओं को देखना है कि किस तरह हमारे बिमार मित्र के सामने जाकर बचाने की कोशिश की थी। हमारे दल के लोगों के साथ जो कुछ गुजरी है वे भी उन चीजों को हाउस के सामने रखेंगे, यदि उन्हें समय मिला।

जहां तक कूटनीतिक तरीके इस्तेमाल करने का सवाल है, कांग्रेस ऐसे तरीके अख्त्यार करके अपने आपको ऊंचा उठाने के स्वप्न नहीं देखती। कांग्रेस हमशा से जो नैतिक तरीके काम में लेती आई है उन्हीं तरीकों को काम में लेना चाहती है। यह उन्हीं लोगों के तरीके हैं, जो, इल्जाम लगाते हैं।

जो अविश्वास का प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया है उसमें न तो राजस्थान की तरक्की का, न बहबूदी का सवाल है। सिर्फ यह है कि राजस्थान में ईर्षा, मनोमालिन्य के भाव फैलाये जायें और सड़ी गली साम्राज्यवादी प्रथा राजस्थान पर फिर से लादी जाय। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके जरिये अपने मित्रों को, अध्यक्ष महोदय, कि कांग्रेस के प्रोग्राम को देखें। जहां तक मैंने निवेदन किया है, मेरे मित्र जानना चाहें तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण के रोज एक मित्र को गैर हाजिर रखा गया था और उनको दवा कर इस चीज से रोका गया।

ठाकुर विजयसिंहजी के बारे में जो बातें रखी हैं वह राजनैतिक इल्जाम ह और अपने आपको बरी करने के लिए यह बातें रखी हैं। म मेरे मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे इन बातों के सम्बन्ध में जरा और गहराई में जायेंगे तो उनको संतोषजनक उत्तर मिलेगा।

डा० मंगलसिंह:—श्री अध्यक्ष महोदय! मेरा बोलने का कुछ अधिक विचार नहीं था। पर जिस प्रकार से बहस चल पड़ी है मेरा कुछ कहने का विचार हुआ है। इस प्रदेश के किसानों, मजदूरों और दूसरे श्रमजीवियों को जो दु:ख-दशा प्राप्त हुई है वह किस कारण से हुई थी। वही सामंतशाही, वही जागीरदारी, वही जमींदारी और इसी तरह की जो दूसरी प्रथाएं थीं, उन्हीं के कारण गरीब किसान-मजदूर इस हालत को पहुंचे हैं। और आज कांग्रेस गवर्नमेन्ट, किसानों और मजदूरों को ऊंचा उठाने के लिये जो प्रयत्न कर रही है और जिन लोगों के हाथ में सरकार है उनको विरोधी लोग नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि कांग्रेस और अधिक देर तक इस काम को करती रहे। इसी तरह से उनके दिल में यह विचार होगा कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट को हम दूर करदें और श्रमिक जातियों की मेहनत से हम अपने आपको मालदार बनावें और दूसरे प्रकार से भी फायदा उठा सकें। मैं समझता हूं, यही मनोवृत्ति है जो इस प्रस्ताव के पीछे है।

मेरे कुछ भाई जो यहां से चलकर दूसर पक्ष में बैठ गये हैं उनकी कांग्रेस शासन से नहीं पटी। यह मैं जानता हूं और वे यह समझते थे कि उनको वहां ऐसी चीज मिलेगी जिससे उनकी प्यास बुझेगी; लेकिन उन्हें इधर पानी नहीं मिला तो जैसलमेर की बालू के ऊपर की झिलमिलाहट-मृगतृष्णा से प्यास बुझाने के लिये दूसरी ओर चले गये। लेकिन मैं समझता हूं कि वह मृग-तृष्णा के समान दूर से दिखाई देने वाली चीज है। लेकिन जब वे नजदीक पहुंच गये है तो उनका यह भ्रम दूर हो गया होगा। उनको समझना चाहिये कि प्यास बुझाने का स्थान इधर है, उधर नहीं। वे जिस प्रकार की गवर्नमेन्ट चाहते हैं उस प्रकार की गवर्नमेन्ट स्वप्न में भी उधर उन्हें नहीं मिलेगी। अविश्वास का प्रस्ताव पास कराके वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ मिल जायगा पर यह कभी नहीं हो सकता, यह केवल मृग-तृष्णा ही है। जो जागीरदार या दूसरे वर्ग हैं उन्हें यह सोचना चाहिये कि जो प्रथा मर गई है, खत्म हो गई है, उस मृतक शरीर को आगे पोषण करना व्यर्थ है। मेरे मित्र जो इस तरफ बैठे हैं वे समझते हैं कि ये प्रथाएं अब आगे ठहरने वाली नहीं हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि वे इस मृतक शरीर से चिपके हुए न रहें और आगे बढ़कर कांग्रेस के काम में सहयोग दें। मैं इस बात को मानता हूं कि दोनों ओर के लोग जो दरअसल में जनता का भला चाहते हैं यदि वे दोनों मिलकर काम करेंगे तो राजस्थान की जनता का उत्थान अवश्य होगा। लेकिन इस प्रकार से आज अविश्वास है और कल नहीं है, तो जनता पर इसका बुरा असर पड़ता है। हम लोग जो यहां पर आये हैं प्रत्येक सदस्य ५० हजार या १ लाख लोगों का विश्वास प्राप्त करके यहां आये हैं। उनके लिये जनता के दिल में यह बात पैदा होगी कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं। हमसे वोट मांगते हैं और वहां जाकर एक दूसरे के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव रखते हैं। इस अपील के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव के खिलाफ सदन का हर एक सदस्य वोट दे और आगे बढ़ने का रास्ता निकाले। अब मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री किशनलाल शाह:–अविश्वास के प्रस्ताव को मैंने अन्य लोगों से दूसरे ही दृष्टि कोण से देखा और प्रस्ताव रखने वाले जब प्रस्तावक महोदय और उनका समर्थन करने वाले समर्थक महोदय यह भावना लेकर सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कि मौजूदा मिनिस्ट्री राजस्थान के हित में नहीं है तो साफ जाहिर है अध्यक्ष महोदय, कि जो प्रस्ताव रखा गया है, वह उनके कथनानसार इस भावना के साथ रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दें कि मैं इस प्रस्ताव की, आप के सम्मुख थोड़ी शव–परीक्षा करदूं और यह बताने की चेष्टा करूं कि, जिस भावना के साथ यह प्रस्ताव रखा गया है वास्तव में वह भावना क्या इस प्रस्ताव के पीछे है ? क्षमा कीजियेगा अध्यक्ष महोदय, मुझ इस प्रस्ताव में दूसरी ही चीज नजर आती है और मैं, अध्यक्ष महोदय, यहां तक कहने का हौसला करता हूं कि इस राजस्थान म ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्थान में आग की लपटों म घसीटने वालों की मनोवृत्ति का एक परिणाम है जो आपके सामने आया है........

श्री गोपीलाल यादव:–Is he allowed to make such a serious insinuation ?

श्री किशनलाल शाह:–(जारी रखते हुए):–अध्यक्ष महोदय, घटनाओं ने प्रश्नकर्त्ता महोदय को पूरा पूरा जवाब दे दिया है और यदि प्रश्नकर्त्ता महोदय आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं साहस के साथ कहना चाहता हूं कि सही है और पूरा सही है। आम चुनाव से पहले गांव–गांव में देखा था और उस दिन के बाद आज तक जितनी घटनाएं हुई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और इस सदन के नेता और हमारी पार्टी के नेता ने एक बयान दिया है और हमारी सरकार के पास इसके आंकड़े मौजूद हैं, जिससे पता चलेगा कि हिंसात्मक ढ़ंग से सरकार को पलटने का षड्यंत्र किया गया था; डेमोक्रेसी का यह रास्ता फेल हो गया है । इस तरह से मुगालता देने का प्रयत्न किया गया था । मैं अर्ज करूंगा...........

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–Not audible, Sir.

श्री अध्यक्ष महोदय:–आप जरा जोरसे बोलें तो सुना जाय।

श्री किशनलाल शाह:–मैं आपके आदेश का पालन करूंगा । तो मैं अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था कि इस बात का आंकड़ा हमारी सरकार के पास है कि उसे हिंसात्मक ढ़ंग से उलटने का षड्यंत्र किया गया था। जो प्रस्ताव आया है उससे २४ घंटे पहले श्रीमन राजप्रमुख को धन्यवाद देने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो रातो-रात फिर ऐसी कौनसी बात हो गई जिससे आपको यह प्रस्ताव लाना पड़ा ? जनता उत्सुक है इस बात को जानने के लिये। मैं उनका भ्रम

निवारण करता हूं और कहता हूं कि यह लड़ाई सारी सत्ता की है। मैं खुले दिल से इस बात को मंजूर करता हूं। हमारे खिलाफ जो आरोप लगाये जाते ह वे इसके प्रतीक हैं कि लगानेवाले खुद पापी हैं। हमारे प्रान्त को आग की लपटों में ढकेलनेवाला वर्ग सत्ता के लिये लड़े यह हम सहन नहीं कर सकते। हम हमारे प्रान्त की सत्ता को विरोधी दल के हाथ में हर्गिज नहीं जाने देंगे, इसके लिये मर मिटेंगे। वे कहते हैं कि हमारे आपस में सत्ता की लड़ाई ह। जो खुद त्यागी नहीं हैं वे हमसे त्याग की भावना रखने का कहते हैं मैं आपसे कहता हूं कि यह नहीं होने वाला है।

सर्विसेज के बारे में बातें की जाती हैं, किसा ों के फायदे के बा म बातें की जाती हैं। मैं यह कहता हूं कि जब तक कांग्रेस जीवित है हिंसकवर्ग के हाथ में सत्ता कभी नहीं दी जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि जो अविश्वास का प्रस्ताव आया ह उस पर सावधानी से विचार करके इसको हर हालत में गिराने का प्रयत्न करें।

श्री तेजमल बाफना:–जिस अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो रही है वह नई चीज तो नहीं मालूम होती। आज से एक वर्ष पहले जब इस राजस्थान में चुनाव होने वाल थे, एक गुट इस राजस्थान में इस प्रकार का बना जिसने देखा कि युग परिवर्तन होने जा रहा है। अब वही सामन्तवाद को प्रजातन्त्रवाद चुनौती दे रहा है, वही सामन्तवाद वापिस कायम होने जा रहा है। चुनावों में बहुत से प्रयत्न किये गये। जो सामन्ती तत्व थे उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार भी कांग्रेस मैंन (Congressmen) चुनावों में सफल न हों, लेकिन उनको निराशा हुई। फिर भी प्रयत्न उनका चालू था, हर समय चालू था और उसका परिणाम एक हफ्ते पहले सामने आया ह। और वह साम आया है वल हमारे भाइयों के बल पर। उन्होंने उनके बल पर ही ऐसा साहस किया है। हमारे विरोधी दल के उपनेता महोदय ह, उनके विचारों को मैं देखा ह, पढ़ा ह और सुना है। किस प्रकार उनम किसानों और मजदूरों के प्रति हमदर्दी है! उन्होंने अपना एक लेख प्रकाशित किया है। भीलवाडा के मजदूरों के बारे में उन्होंने उसमें बतलाया है कि कांग्रेस की सत्ता का अपव्यय हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इन महोदय से कि क्या वे कभी भीलवाडा आये हैं, उन्होंने वहां की स्थिति को जांचने की कोशिश की है? मुझे मालूम हुआ था कि मिल मेनेजमेन्ट ने अपने केस में श्री इन्द्रनाथजी मोदी को वकील बनाने की कोशिश की थी। यदि वे भीलवाडा आते और वास्तविक स्थिति से परिचय पाते तो अच्छा होता।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–On a point of personal explanation, Sir. I have never said a word about Bhilwara. I wonder why you are bringing the name of Bhilwara here.

श्री तेजमल बापना:-I am simply expressing what you have recently expressed in a paper I have gone through.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-This is not a debate on what I have said elsewhere.

श्री तेजमल बापना:-मैं तो केवल उन मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कांग्रेस के हमारे मित्र थे, हमारे साथी थे। उनमें से कुछ के विचार और कुछ के कार्य बड़े सराहनीय हैं। मैं तो केवल उन्हीं से यह कहना चाहता हूं कि जो कोई घर की चीज हो वह घर में रह कर ही दुरुस्त की जाती है, विरोधी तत्वों से मिल कर नहीं। यदि मेरे घर में कोई कूड़ा कचरा हो और उसको साफ करना हो तो सड़क पर जाने वाला कोई व्यक्ति उसे किसी प्रकार दुरुस्त नहीं कर सकता; हां, साथियों के साथ रह कर वह दुरुस्त किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं और भी बातें कहना चाहता हूं इस अविश्वास के प्रस्ताव पर। इस अविश्वास के प्रस्ताव पर किस प्रकार विचार व्यक्त किये जायं क्योंकि जो खतरा दिखाई दे रहा है वह साधारण नहीं। इसकी जिम्मेदारी विरोधी तत्व पर नहीं हो सकती, हमारे साथियों पर जरूर हो सकती है। जो विचार लेकर वे सदन के सामने आये थे, जो विचार उन्होंने अपनी कोन्स्टिटयुएन्सीज में बताये थे क्या यह उनका स्वप्न था कि वे विरोधियों से मिल कर ऐसा कर सकते हैं? वे उनके साथ मिल कर क्या भलाई कर सकेंगे-जिनका रास्ता और नीति ही भिन्न है और जो मजदूरों और किसानों के शोषण के प्रति जिम्मेदार हैं?

अविश्वास का प्रस्ताव जो लाया गया है, सदन के सामने, हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि वह उस पर पूरी तरह से सोचे। यह कहा जाता है कि आज राजस्थान के कोन कोने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, पैसा बरबाद किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन छः महीनों में कितना हुआ? जितनी डेवलप्मेन्ट की स्कीमें गवर्नमेंट की ओर से बनाई जा रही हैं उनसे स्पष्ट है कि आज सारी शक्ति पानी के संचय पर है, जगह जगह के बांध बांधने हैं। अच्छा होता कि जो स्कीम्स हैं उनके बनने में सहयोग दिया जाता। हमारे यहां की लाखों एकड़ जमीन बन्जर पड़ी हुई है, वह सिंचित हो सकती है और उससे हमारे किसानों का भला हो सकता है। आज मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और कौनसा तत्व है जो मजदूरों और किसानों के प्रति विरोधी विचार रखता हो। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है किन्तु समयाभाव से मैं इतना ही कहूंगा कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के विरुद्ध हर एक को मत प्रदान करना चाहिये जिससे हम अपने प्रान्त का और राष्ट्र का भला कर सकते हैं। जय हिन्द।

श्री टीकाराम पालीवाल:-अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी बहस चली इस अविश्वास के प्रस्ताव पर। जैसा मैंने निवेदन किया, मुझे कुछ, लम्बा समय चाहियेगा इन सबका उत्तर देने के लिए और जिस समय में खड़ा होरहा हूं उसे देखते हुए यह निश्चय है, कि, अगले दिन मुझे अपनी बहस जारी रखनी होगी।

श्री जसवन्तसिंह:--आज दिन में, रात को १२ बजे तक।

श्री टीकाराम पालीवाल:-अध्यक्ष महोदय, कई एक बातें कही गई हैं। उनमें से मैं हर एक का अलग अलग उत्तर दूं। निश्चित रूप से समय लगेगा और मैं लगाऊंगा भी। लेकिन जो एलीगेशन्स वर्तमान गवर्नमेन्ट पर हैं, जो शिकायतें विरोधी दल की ओर से अथवा अन्य दूसरे सदस्यों की ओर से हैं उन पर एक एक के बारे में कुछ निवेदन करने के पहले में आपकी इजाजत से इस हाउस के सामने एक दो बातें मूल रूप में कहना चाहता हूं। शिकायतें जो वर्तमान सरकार के प्रति की गई हैं, इस अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन में, बहुतसी बातें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध इस वर्तमान सरकार से नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत चली आ रही है:-

"सिन्स ओफ फोर फादर्स विजिट देयर सन्स।"

वह भी चरितार्थ करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो काम, जो गलतियां तीन चार साल से दूसरी सरकारों ने की हों या रही हों उनके कामों में, उनके अच्छे से अच्छा प्रयत्न करने के बावजूद भी, सारा इकट्ठा करके छः महीने से चलने वाली सरकार पर लादा जा रहा है, और वह भी उस समय जब कि इस सरकार के छः महीने के कार्यकाल के बारे में इसी हाउस में अभी दो चार दिन पहले ही श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि अविश्वास का प्रस्ताव जिस दल की ओर से आया है उनकी ओर से वह प्रस्ताव सरकार की किसी नेक नियत में शंका होने के कारण, अविश्वास होने के कारण, अथवा बुरी बात अथवा कार्य में बहुत बड़ी कमी रह जाने के कारण, नहीं लाया गया है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनीं जिनका लाभ विरोधी दल ने लेना चाहा हो। अंग्रेजी में यह कहा जाता है कि:-

"नोट टु मिस ए सिंगल ओपोर्च्युनिटी फोर टेकिंग एडवान्टेज।"

अर्थात् अधिक से, अधिक लाभ उठाना चाहिए। ठीक है। जो परिस्थितियें बनी हैं, पिछले दिनों में, उन सब के कारण ही यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। मैं इसे आवश्यक भी नहीं मानता कि जो स्पष्टीकरण के योग्य हो उसको मैं छिपाने का प्रयत्न करूं। कुछ हमारे मित्र, जो हमारे दल में थे, हमारे साथी थे, जिन्होंने चुनाव लड़े, कन्धे

से कन्धा भिडा कर हमें जिन्होंने सहयोग दिया हमारा साथ दिया, हमारे साथ रहे, वे मित्र किन्हीं कारणों से नाराज हुए और उन्होंने हमारा साथ छोड दिया । उनकी नाराजगी को मैं समझ सकता हूं । हमारे दल के नेता समझते ह और हममें से बहुत से समझत हैं । उनकी इस नाराजगी के कारण विरोधी दल यदि यह समझता हो कि उनको बडा सुअवसर मिल गया है, उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिये तो मैं कहता हूं कि यह विरोधी दल जैसा कि वह अपने बारे में कहता रहा है उसके अनुरूप मालूम नहीं होता । विरोधी दल के उपनेता ने बहुतसी बातें बतायी हैं और बहुतसी बातों का सुझाव दिया है और फिर उन्होंने यह कहा कि उन पर अमल नहीं किया गया। उनकी कई बातों में तथ्य था और कई के बार में उन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं की । म मानता हूं कि उन्हें यह अवसर मिला था, अतः उन्होंने इसका प्रयोग कर लिया। अब मैं उन मित्रों पर आता हूं, जिन्हें यह भूलना नहीं चाहिये कि जो कल तक हमारे साथी थे आज हमसे अलग बैठे हैं; इतना होने पर भी वे हमारे मित्र हैं क्योंकि उनके सोचने और हमारे सोचने का तरीका एक रहा है, स्वाभाविक तरीका रहा है आज वह (तरीका) उनकी एक दिन की नाराज़ी से सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता । उन नाराज मित्रों ने जो कुछ इस सदन में कहा वह मैंने ध्यान लगा कर सुना । उन्होंने कहा कि उनके दिल में बडा दर्द है। दर्द के साथ साथ उन्होंने अपने वास्तविक भावों की अभिव्यक्ति की । उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े हेवी हार्ट से कांग्रेस को छोडा है । मेरा विश्वास है कि मेरे मित्र यह समझते होंगे कि वे उनके सहयोग से सत्ता को हस्तगत कर लगे, यह उनके लिए स्वप्न होगा । हो सकता है हमारे मित्र नाराजगी के कारण आज हमारे विरोध में वोट देने के लिए तयार हो जायं, लेकिन इसमें भी उन्हें छः दफा सोचना होगा, अपने हृदय को टटोलना होगा । थोड़ी सी देर के लिए हम यह मानने को तैयार भी हो जायं तब भी मैं विरोधी दल को कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ वे यह न समझे । कि सत्ता हस्तगत कर ली जायगी ।

मेरे एक साथी जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने भी विरोध किया। मैं नहीं मानता हूं कि सत्ता हस्तगत करने में वे भी उनका साथ देंगे । मित्रों, आपको यह न समझना चाहिये कि वर्तमान सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देने से ही यह अर्थ सिद्ध हो जाएगा, आपके हाथ में सत्ता आजायगी। कोई दूसरा दल इस सदन में ऐसा नहीं जो सत्ता हस्तगत कर सकें; इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह ोई खेल का मैदान नहीं। यह कबड्डी खेलने का मैदान नहीं। इस पर गंभीरता से वर्तमान और भविष्य को विचार कर, सोचकर कार्य करना होगा। मेरे मित्र जिस समय कह रहे थे उसी समय मेरे मन में आया कि उन्होंने वास्तव में हेवी हार्ट से कांग्रेस छोड़ा है। कितने हेवी हार्ट से छोड़ा है यह

मुझे मालूम है। उधर जाने पर तो सचमुच सत्ता उनके हाथ में चली जाय–ऐसा हो नहीं सकता, परन्तु यदि सत्ता चली भी जाय तो भी जिस दल को हेवी हार्ट से छोड़ा तो है कहीं उस दल को ब्लीडिंग हार्ट से छोड़ने की नौबत न आजाय। इसलिये मेरे उन मित्रों से निवेदन है, जिन्होंने हमारे दल को छोड़ा है कि उनके विचारों में और जिस दल में वे शामिल हुए हैं उनके विचारों में जमीन,–आसमान का अन्तर है। उनके सोचने का तरीका, अब तक जो हमारा रहा है, वही था। उनकी जरा सी नाराजगी के बावजूद मूलत: वह तरीका बदला नहीं है। इस तथ्य को उन्हें अनुभव करना चाहिये। आपको यह सोचना है कि अपने निर्णायक मत का प्रयोग हम पूरी तरह से, सोच विचार कर करें। मैंने यह मूलभूत बातें कहीं हैं। मैं समझता हूं समय हो गया है। मैं आगे अगले दिन अपना जवाब जारी रखूंगा।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या हम उम्मीद करें कि दो बजे सेशन फिर चालू रहेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल:–मेरा निवेदन है कि कल से दिवाली का त्यौहार है। सब सदस्य अपने अपने घर जाना चाहते हैं और जल्दी जाना चाहते हैं। इसलिये आज ही दूसरी बैठक करना संभव नहीं होगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--Mr. Speaker, Sir. Before you let us know your decision on this point, Sir, I should like to make a submission. I appreciate what the Leader of the House has said that we have Diwali days intervening after today. But I never thought that he would be attracted by that kind of feeling. Therefore, as I have already said, the motion of no-confidence is far more important than Diwali and I think it was in deference to his wishes that we allowed a good seven days to pass between the moving of the motion and when I asked for leave to introduce it. That has been, in my humble submission, Sir, a criminal waste of public time and money for which there is no justification whatsoever in Parliamentary history. Nevertheless my submission is that if the Leader of the House wants that he should have time, or that today's session of the House should be extended, we are all prepared to meet after lunch and as soon as we have finished with the motion, then we have a right to observe Diwali in the true sense of the word. I submit that when such important matters are before the House, then consideration of Diwali or no Diwali should not in any way be allowed to intervene. My learned friend has had ample time over this motion and we should try to maintain the pledge that we took this morning. Therefore I submit that you will kindly have these factors into consideration.

श्री अध्यक्ष:-कलेन्डर ऑफ मीटिंग्ज में सत्रह के बाद २१ तारीख का ही समय रखा गया है। अतः सदन की बैठक २१ तारीख के ८-३० बजे प्रातः तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक आज १२-४५ पर, मंगलवार, दिनांक-२१ अक्टूबर १९५२ के ८-३० बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई)

सभा भवन
जयपुर
दिनांक-१७ अक्टूबर, १९५२.

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
विधान सभा,
जयपुर.

———

परिशिष्ट १

(श्री विजयसिंह विभाजन संख्या १५८ का लिखित वक्तव्य

जो श्री इन्द्रनाथ मोदी ने सदन में प्रस्तुत किया)

(कृपया पृष्ठ २६४ देखिये)

श्री विजयसिंह:--कल ता० १३-१०-५२ को ५-३० बजे सुबह तख्तमल, जो धर्मार्थ महकमें में मुलाजिम है और मेरे और उसके खासी जान पहिचान है मेरे पास गवर्नमेन्ट होस्टल में आया और उसने कहा कि मदनलाल असिस्टेंट कमिश्नर, धर्मार्थ, उदयपुर, आप से लच्छू की दुकान पर बातचीत करना चाहते हैं; उनसे बात करके ५ मिनिट में वापिस आ जाना । मदनलाल भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं और तख्तमल रिक्शा में बैठ कर लच्छू की दुकान पर गये। वहां मुझे लच्छू के भाई ने कहा कि मदनलालजी रवाना होगये और सांगानेर दरवाजे बाहर इन्तजार कर रहे हैं। मोटर तैयार थी। वे मुझको सांगानेर दरवाजे ले गये। मदनलालजी वहां मिले। उन्होंने मुझे श्री मथुरादास माथुर के मकान पर चलने को कहा । मैंने कहा कि मेरे ठीक कपड़े भी पहिनने को नहीं है और वहां मुझे क्यों ले जाते हो। मदनलालजी बोले कि हम पांच मिनिट में वापिस आजावेंगे; वहां श्री सुखाडियाजी भी आवेंगे और आपसे बातचीत भी करा देंगे और आप के देवस्थान के मुकद्दमें में हम सरकारी पैरोकार से मदद भी दिला देंगे। मैंने जाने से बहुत कुछ आनाकानी की। मदनलाल ने मुझे कहा कि देवीलाल सब इन्सपेक्टर पुलिस आमेट का समाचार आया है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस उदयपुर ओमप्रकाश ने आपको जयपुर नहीं जाने के लिये बहुत कुछ मना किया था मगर फिर भी आप यहां चले आये, फिर भी आपको उदयपुर तो आना ही होगा और जो हाल आपका पहिले किया गया उसको भूल नहीं जाना चाहिये । मदनलाल ने यह भी कहा कि देवीलाल का तबादला रिचेड (कुम्भलगढ तहसील) होने वाला है जहां कि मेरा ठिकाना पड़ता है । यह बात देवीलाल ने मुझे खुद जयपुर आने से पहिले कही थी कि अगर मुझे अपनी खैरियत पसन्द है तो कांग्रेस पार्टी के साथ वोट देना चाहिये। फिर हम मथुरादास माथुर के घर पर गये । करीब एक घंटा बाद में सुखाड़ियाजी भी वहां आगये । इस दर्मियान में माथुर और मदनलाल मेरे से बातें करते रहे और कहा कि अविश्वास के प्रस्ताव पर हमारे आठ मेम्बरों के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस की स्थिति डावांडोल हो गई है; आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिये क्योंकि आपके मुकद्मे में कांग्रेस ही फायदा पहुंचा सकती है आपकी पार्टी वालों ने इस मुकद्दमें में क्या मदद दी और क्या मदद वह आयन्दा दे सकेंगे। मैं "हां-हूं" करता रहा। इतने में सुखाड़ियाजी आ गये।

सुखाड़ियाजी के आने पर माथुरजी तो बाहर चले गये और मदनलाल के साथ में; व सुखाड़ियाजी वहीं कमरे में रह गये । सुखाड़ियाजी ने मुझे कहा कि आप अपने लीडरों के पीछे क्यों बरबाद होते हो; उन्होंने आपके मुकद्दमें में क्या

मदद दी है, वह अपने स्वार्थ के लिये यह सब कारवाही कर रह हैं। अगर आप इसकी जांच करना चाहें तो हम मोदीजी को कल मिनिस्ट्री आफर करदें तो वे संयुक्त दल को छोड़ कर फौरन हमारे साथ आजावेंगे; आप क्यों संयुक्त दल छोड़ने में हुज्जत करते हैं। और कांग्रेस छोड़ने वालों के लिये उन्होंने कहा कि वे तो करीब-करीब सब वापिस आने के लिये तैयार हैं और आवेंगे ही। और इन सब में ज्यादा बदमाश त्यागी है; हम उसे तो कभी नहीं लेंगे; इनमें से चार आदमी तो हमारे पास आने के लिये अभी तैयार हो चुके हैं। त्यागी के साथ दो तीन आदमी और हैं। श्रीदासगोयल व दलीपसिंह वगैरा; जिनको हम बता देंगे कि कांग्रेस छोड़ने का क्या फल होता है? इसके बाद सुखाड़ियाजी ने कहा कि संयुक्त दल से इस्तीफा लिख दो और कांग्रेस के प्लेज पर दस्तखत कर दो। परन्तु मैंने दस्तखत करने से इन्कार कर दिया। तब मुझे सुखाड़ियाजी ने धमकाया और कहा कि अगर मैं मेरा हित चाहता हूं तो मुझे जयपुर से बाहर चला जाना चाहिये और वह इसका बन्दोबस्त कर देंगे। उन्होंने कहा मोटर तैयार है और आपको दो हजार रुपया दे देंगे। मैंने रुपया लेने से इन्कार किया और कहा कि मुझे होस्टल से कपड़े लाने दीजिये मैं उस वक्त सिर्फ स्लीपिंग सूट में था। मदनलाल ने कहा कि आप दूसरे कपड़े दिल्ली में बनवा लेना। अगर आप होस्टल जावेंगे तो आपकी पार्टी वाले आपको आने नहीं देंगे।

इस तरह करीब एक बजे मुझको मेरी मर्जी के खिलाफ मथुरादास माथुर के मकान पर रक्खा गया। मैंने सोचा कि इन लोगों के बीच से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस समय "हां" कह दूं। मोटर तैयार खड़ी थी पिछली सीट पर मथुरादास का भाई जिसे मैं शक्ल से जानता हूं, बैठा हुआ था; सफर का कुछ सामान भी रक्खा हुआ था। मथुरादास ने कहा था कि वह उसका भाई है और वह मुझे, दिल्ली में बहुत आराम से रखेगा। मैंने, मदनलाल के वगैर, मोटर में बैठते समय, दिल्ली जाने से इन्कार कर दिया जिस पर मदनलाल भी पिछली सीट पर बैठ गया। फिर हम मदनलाल के घर पहुंचे। मदनलाल ने कहा कि मुझे जोधपुर जाना जरूरी है और संयुक्त दल के सदस्य विशनसिंहजी वगैरह से मिलना है और इसलिये वह साथ नहीं चल सकेगा। तब मैंने कहा कि मैं अपने चचेरे भाई (Cousin) महावीरसिंह के बिना हर्गिज दिल्ली नहीं चलूंगा और वह राजपूत बोर्डिंग हाउस में रहता है। मुझे मालूम था कि महावीरसिंह बोर्डिंग हाउस में नहीं है, फिर भी मैंने यह बात इसलिये कही कि वहां कोई जान पहिचान वाले मिल जावेंगे और मैं अपना पीछा छुड़ा सकूंगा। मथुरादास के भाई ने कहा कि आप मदनलाल के घर पर ठहरो मैं महावीरसिंह को ले आता हूं। जब मोटर में वह चला गया तब मैंने मदनलाल से कहा कि मोटर वापिस आवे तब तक मैं खाना खा आऊं और मुझे ५ रुपये की जरूरत है सो दो। मदनलाल रुपया लाने कमरे में गया इतने में मौका पाकर मैं मकान से नीचे उतर आया और एक रिक्शा जा रहा था उसमें बैठ कर मैं रवाना हो गया। मदनलाल भी एक दूसरे रिक्शे में मेरे पीछे आता हुआ दिखाई दिया। ज्यों ही मैं नीरोज रेस्ट्रां के सामने उतरा मदनलाल भी आ पहुंचा। उसने मुझे ५ रुपये दिये और कहा कि आपने अपने सारे किये कराये पर क्यों पानी फेर दिया।

इतने में ही रावत मानसिंहजी महार निरोज से बाहर निकले। मदनलाल ने मुझ से कहा कि आप जल्दी खाना खाकर आजाइये। मैंने माहर रावतजी से कहा कि अन्दर चलिये, बहुत जरूरी बात है। अन्दर पहुंचने पर मैंने देखा कि संयुक्त दल का एक और सदस्य हरिसिंह वहां बैठा हुआ था। मैंने इन दोनों साथियों के सामने कहा कि क्या आप के पास रुपये हैं? जिस पर हरिसिंह ने कहा कि, ह। तब मैं फौरन मदनलाल को रुपये वापिस करने बाहर गया व तुरन्त लौट आया। फिर मैंने रावतजी व हरिसिंह को सब किस्सा सुना दिया और रावतजी से कहा कि आप होस्टल में ठा० केशरीसिंहजी जोजावर को, और वह न मिलें तो दूसरे साथियों को इत्तला करदें। मैं और हरिसिंह खाना खाते रहे इस बीच मदनलाल अन्दर आया और उसके इशारा करने पर मैं उसके पास गया। उसने कहा मोटर तैयार है अब अधिक समय गुजारना अच्छा नहीं। उस वक्त मैंने उस साफ कह दिया कि मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा और न दिल्ली जाऊंगा। थोड़ी देर म संयुक्त दल के सदस्य कर्नल दलीपसिंहजी, कुंवर देवीसिंहजी, ठा० कानसिह ी तथा श्री मुकर्जी वहां आगये और हम होस्टल के लिये रवाना हो गये। हरिसिंह दाम चुकाने के लिये पीछे रहे और बाद में आये।

यह सारा सच्चा हाल है जो मेरे साथ हुआ जो मैं ईश्वर को साक्षी रखकर पेश करता हूं।

Sd./ Th. VIJAY SINHA,
M. L. A.
Date 14-10-52

Sd./ JASWANT SINGH,
14-10-52
Leader of Opposition in the Rajasthan Legislative Assembly and Leader Sanyukta Dal.

परिशिष्ट २

(श्री मथुरादास माथुर विभाजन संख्या ६६ का वक्तव्य जो श्री जयनारायण व्यास ने सदन में प्रस्तुत किया)

(कृपया पृष्ठ २८१ देखिये)

एक स्थानीय दैनिक में रूपनगढ के जागीरदार 'ठाकुर विजयसिंह' का एक वक्तव्य पढ कर मुझे आश्चर्य हुआ। वक्तव्य की असत्यता वक्तव्य के शब्दों ही से प्रकट हो सकती है। मुझे खेद है कि मेरे जयपुर में रहते हुए भी इस पत्र ने इस वक्तव्य को प्रकाशित करने के पहिले मुझसे पूछताछ करने की शिष्टता भी नहीं की।

सच यह है कि ठाकुर विजयसिंह तीन चार बार पार्टी के नेता, श्री जयनारायण व्यास, के पास गये। पहले उन्होंने कांग्रेस प्लेज भरने का कहा। व्यासजी ने पूछताछ कर के उत्तर देने की बात की। पूछताछ करने पर उन्हें मालूम हुआ कि ठाकुर साहब पर एक मुकद्दमा चल रहा है, जिसमें उन पर डाकुओं के साथ सांठ गांठ के गंभीर आरोप हैं। व्यासजी ने ठाकुर साहब को दूसरी मुलाकात में उत्तर दिया कि वे तब तक प्लेज स्वीकार करने की स्थिति में नहीं जब तक कि उनके मामले का निबटारा न हो जाय। व्यासजी ने उन्हें यह भी कहा कि यदि सही तौर पर भी उनके विरुद्ध जो आरोप हैं वे सिद्ध न हों और वे बरी कर दिये जायं तो लोगों को यह कहने की गुंजाइश रहेगी कि आपके कांग्रेस प्लेज भरने के कारण आप बरी हुए हैं। आप पर मुकद्दमा चलने की हालत में आपका प्लेज भरना भी आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। ये बातें मुझे ठाकुर साहब ही से मालूम हुईं और व्यासजी ने भी इनकी पुष्टि की।

ठाकुर साहब मेरे घर तीन बार आये। मुझे बुखार था, अतः आराम पूछना वे अपना मुख्य उद्देश्य बताते थे। आखिरी बार जब वे दुपहर में आये तब श्री मोहनलालजी सुखाड़िया भी मेरी तबियत का हाल पूछने आये थे। उन्होंने कहा कि प्लेज भरने के लिये तो मुझे इन्कार कर दिया गया है पर मैं संयुक्त दल के साथ मत देना नहीं चाहता। सुखाड़ियाजी ने भी उन्हें यही सलाह दी कि उन्हें प्लेज भरने की बात तब तक नहीं करनी चाहिये जब तक उन पर मुकद्दमा चालू है। इसके बाद श्री सुखाड़िया चले गये। इसके बाद ठाकुर साहब ने नीरोज़ होटल तक लिफ्ट देने के लिये मुझे कहा। और मैंने अपने भाई के साथ जो बाजार जा रहे थे उन्हें नीरोज भेज दिया।

एक तगड़े ठाकुर का दिन को उड़ाया जाना और दोपहर के १ बजे नीरोज में छोड़ना तथा दर्जनों गांवों के जागीरदार को एक धन-हीन कार्यकर्ता का २०००) रुपये का प्रलोभन देना आदि ऐसी बातें हैं जिनको कोई भी समझदार व्यक्ति संभव नहीं मान सकता। हां, ठाकुर साहब ने मुझे यह अवश्य कहा था कि दल के लोगों द्वारा हिरासत की हालत में रहते हैं और उनकी आंख बचा कर वे मेरे घर आते जाते रहे हैं। उनके नीरोज में पहुचने पर कुछ लोगों का एकदम आना इस दिशा में इशारा है।

Sd. MATHURADAS.
16-10-52